पत्र संख्या- वि0व0 संग्रह/परिपत्र/ 2025-26/ 1364 / 2526008 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर ,उ0प्र0

(संग्रह अनुभाग)

लखनऊ :दिनॉक : 05 : दिसम्बर,2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त, (नाम से)

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया बिक्रीकर/व्यापार कर/ वाणिज्य कर/ वैट के बकायेदारों की चल/अचल सम्पत्ति की कुर्की, नीलामी एवं विक्रय की कार्यवाही किये जाने हेतु संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओपी0पी0) का अवलोकन करने का कष्ट करें जो बकाया वसूली कार्यवाही से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यो की प्रक्रिया के सम्बन्ध में है।

उक्त परिपत्र में वसूली प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि की वसूली हेतु बिक्रीकर/व्यापार कर/ वाणिज्य कर/ वैट के बकायेदारों की चल/अचल सम्पत्ति की कुर्की, नीलामी एवं विक्रय की कार्यवाही किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तार से उल्लेख किया गया है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है उक्त एस0ओ0पी0 का अध्यन कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से उक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-: उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
NITIN BANSAL
Date: 05-12-2025
16:51:08

(डॉ0 नितिन बंसल)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0/उक्त/दिनॉक –

प्रतिलिपि:-1-समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक), राज्य कर, उ0प्र0 को इस अनुरोध से प्रेषित कि वे अपने स्तर से अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

2-संयुक्त आयुक्त(आई0टी0), राज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सर्कुलर बेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
ARTI KUMARI
Date: 05-12-2025
16:54:26

(आरती कुमारी)
संयुक्त आयुक्त (संग्रह) राज्य,कर
मुख्यालय,लखनऊ।

बिक्री कर / व्यापार कर / वाणिज्य कर / वैट के बकायेदारों की चल

/अचल सम्पत्ति की कुर्की, नीलामी एवं विक्रय की कार्यवाही किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) एस०ओ०पी०

विभागीय वसूली वाले 20 जनपदों हेतु बिक्री कर / व्यापार कर / वाणिज्य कर / वैट के बकाये को भू-राजस्व के रुप में वसूली किये जाने हेतु इन जनपदों में तैनात व्यापार कर अधिकारी कर निर्धारण (उच्चीकृत पद सहायक आयुक्त कर निर्धारण) एवं सहायक आयुक्त कर निर्धारण (उच्चीकृत पद उपायुक्त कर निर्धारण) को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-8 की उपधारा-(8) के प्रयोजनों के लिए राजस्व विभाग के अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-1162(1)/1-7/ 98-42/ 98, रा-7 दिनांक 25 जून, 1998 के अनुसार यू०पी० लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 (यू०पी० एक्ट सं0-3 1901) की धारा- 15 के अधीन अपनी -अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर प्रथम श्रेणी के पदेन सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है ।

उपर्युक्त जनपदों में तैनात व्यापार कर अधिकारी कर निर्धारण (उच्चीकृत पद सहायक आयुक्त कर निर्धारण) एवं सहायक आयुक्त कर निर्धारण (उच्चीकृत पद उपायुक्त कर निर्धारण) को राजस्व विभाग के अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-टी0टी0 62(टी0टी0)/1-7/ 98-42/ 98 रा-7 दिनांक 26 जून, 1998 के अधीन उ0प्र0 जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-1(95) की धारा- 3 के उपखण्ड-4 के अन्तर्गत व्यापार कर को भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली के प्रयोग के लिए कलेक्टर के कृत्यों के निर्वहन करने के लिए सशक्त किया गया है।

बिक्री कर / व्यापार कर / वाणिज्य कर / वैट के बकाये के संबंध में जिन बकायेदारो के वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 10.02.2016 तक जारी किये गये हो, उस वसूली प्रमाण पत्र से आच्छादित बकाया को भू-राजस्व के रुप में वसूली किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम -1950 की विभिन्न सुसंगत धाराओं में मांग पत्र (Writ of demand),उपस्थिति पत्र (citation), गिरफ्तारी(Arrest), निरोधन(Detention), चल सम्पत्ति उपज सहित की कुर्की एवं नीलामी(Attachment and Sale of Movable Property including produce), पट्टे पर देना या विक्रय (Lease or Sale of the holding), खाते की कुर्की (Attachment of the holding) एवं अन्य अचल सम्पति की कुर्की एवं नीलामी (Attachment and Sale of other immovable property) तथा चल एवं अचल सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किये जाने (Appointing a receiver of any property, movable or immovable) की शक्ति 20 विभागीय जनपदों में सम्बन्धित व्यापार कर अधिकारी कर निर्धारण (उच्चीकृत पद सहायक आयुक्त कर निर्धारण) एवं सहायक आयुक्त कर निर्धारण (उच्चीकृत पद उपायुक्त कर निर्धारण) में निहित होगे एवं अन्य 55 जनपदों में जिला प्रशासन में निर्धारित किए गए अधिकारियों में निहित होगे । इनका प्रयोग उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 के विभिन्न प्राविधानों में प्रदत्त प्रक्रिया एवं अधिकारों के अंतर्गत किया जायेगा।

बिक्री कर / व्यापार कर / वाणिज्य कर / वैट के बकाये के संबंध में जिन बकायेदारो के वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 11.02.2016 को या उसके पश्चात निर्गत किये गये हो, उस वसूली प्रमाण पत्र से आच्छादित बकाया को भू-राजस्व के रुप में वसूली किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की विभिन्न सुसंगत धाराओं में गिरफ्तारी(Arrest), निरुद्ध(detention), जंगम सम्पत्ति कृषि उपज सहित की कुर्की एवं विक्रय(Attachment and sale of his movable

property including agriculture produce), बैक खाते या लॉकर की कुर्की(Attachment of any bank account or locker), भूमि की कुर्की (Attachment of land), भूमि को पट्टे पर देकर या उसकी बिक्री(Lease or sale of the land), अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री(Attachment and sale of other immovable property), स्थावर या जंगम सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त किये जाने(Appointing a receiver of any property, movable or immovable) की शक्ति 20 विभागीय जनपदों में सम्बन्धित व्यापार कर अधिकारी कर निर्धारण (उच्चीकृत पद सहायक आयुक्त कर निर्धारण) एवं सहायक आयुक्त कर निर्धारण (उच्चीकृत पद उपायुक्त कर निर्धारण) में निहित होगे एव अन्य 55 जनपदों में जिला प्रशासन में निर्धारित किये गये अधिकारियों में निहित होगे । इनका प्रयोग उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 के विभिन्न सुसंगत प्राविधानों में प्रदत्त प्रक्रिया एवं अधिकारों के अंतर्गत किया जायेगा।

बिक्री कर / व्यापार कर / वाणिजय कर / वैट के बकाये के संबंध में जिन बकायेदारो के वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 10.02.2016 तक जारी किये गये हो, उस वसूली प्रमाण पत्र से आच्छादित बकाया को भू-राजस्व के रुप में वसूली चल सम्पत्ति उपज सहित की कुर्की एवं नीलामी(Attachment and Sale of Movable Property including produce), पट्टे पर देना या विक्रय (Lease or Sale of the holding), एवं अन्य अचल सम्पति की कुर्की एवं नीलामी (Attachment and Sale of other immovable property) की रीति से किये जाने के संबंध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम -1950 के अन्तर्गत धारा- 282, 284, 284-क, 286, 287-क, 288, 292) तथा उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली-1952 के अन्तर्गत नियम-261 से 285 -ढ. तक में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत की जाएगी ।

इसी प्रकार बिक्री कर / व्यापार कर / वाणिजय कर / वैट के बकाये के संबंध में जिन बकायेदारो के वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 11.02.2016 को या उसके पश्चात निर्गत किये गये हो, उस वसूली प्रमाण पत्र से आच्छादित बकाया को भू-राजस्व के रुप में वसूली जंगम सम्पत्ति कृषि उपज सहित की कुर्की एवं विक्रय(Attachment and sale of his movable property including agriculture produce), भूमि की कुर्की (Attachment of land), भूमि को पट्टे पर देकर या उसकी बिक्री(Lease or sale of the land), अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री(Attachment and sale of other immovable property) की प्रक्रिया के संबंध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा- 172, 174 से 177 तक, 182 से 205 तक एवं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली-2016 के नियम-147 से 152 तक, 158 से 177 तक में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत की जाएगी।

गया। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्न आदेश जारी किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग अनुभाग-7,

संख्या-1162(1)/7/98-42/98रा-7

लखनऊ दिनांक 25, जून, 1998

अधिसूचना

यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 यू0पी0 ऐक्ट संख्या-3 सन् 1901 की धारा-15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राजयपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, देहरादून, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी जिलो में तैनात व्यापार कर के समस्त सहायक आयुक्त (निर्धारण) और व्यापार कर अधिकारी(निर्धारण) को उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा-8 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए अपनी-अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर प्रथम श्रेणी के पदेन सहायक कलेक्टर के रुप में नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

ह0/-

(पी0सी0 शर्मा)

अपर

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग अनुभाग-7

संख्या-टी0टी0 62 (टी0टी0)/1-7/98-42/98 रा-7

लखनऊ दिनांक 26, जून, 1998

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951(की धारा-3 के उपखण्ड-3(4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या-1162(1)/1-7/98-42/98-रा-7 दिनांक 25-06-98 में इस रुप में नियुक्त समस्त प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टरों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की धारा-8 की उपधारा(8) के अधीन व्यापार कर और अन्य वसूलीय देयों की भू-राजस्व के बकायों के रुप में वसूली के प्रयोजनों के लिए कलेक्टर के कृत्यों का निर्वहन करने को सशक्त करते है।

आज्ञा से,

ह0/-

(पी0सी0 शर्मा)

प्रमुख सचिव

उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में शासन द्वारा आदेश संख्या-क0स0वि-3-2144/11-8-9(120)/96 दिनांक 26, जून 1998 के द्वारा प्रक्रिया जारी की गयी तथा व्यापार कर मुख्यालय से पत्र संख्या- वि0व0-बकाया वसूली-कार्य योजना-97-98/547/व्यापार कर दिनांक 31, अगस्त, 1998 के द्वारा विभिन्न वसूली अधिकारियों द्वारा किये गये कार्य एवं उनके दायित्व के बारे में निर्धारण किया गया जिसकी प्रतिलिपि सभी अधिकारियों को पूर्व में ही उपलब्ध करायी गयी।

बाद में शासनादेश संख्या-सं0क0नि0अनु0-4-725/11-99-400-(80)/98 दिनांक 11 अक्टूबर 1999 के द्वारा देहरादून इकाई को देहरादून से गौतमबुद्ध नगर, नोएडा स्थानान्तरित कर दिया गया।

उपरोक्त शासनादेश से स्पष्ट है कि 14 जिलों में नियुक्त सभी डिप्टी कमिश्नर(क0नि0) और करनिर्धारण कार्य में लगे हुये असिस्टेन्ट कमिश्नर को उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट 1948 की धारा-8 की उपधारा-8 के प्रयोजन के लिए प्रथम श्रेणी के पदेन सहायक कलेक्टर के अधिकार प्राप्त हो गये। ऐसी स्थिति में जिले में सभी कर निर्धारण अधिकारी व्यापार कर बकाया की वसूली भू-राजस्व की भाँति कर सकते है। डिप्टी कमिश्नर(क0नि0/क0व0) को भी ये सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो अन्य करनिर्धारण अधिकारी को प्राप्त है। मुख्यालय के पूर्व निर्गत पत्र संख्या- वि0व0-बकाया वसूली-कार्य योजना-97-98/547/व्यापार कर दिनांक 31, अगस्त, 1998 में डिप्टी कमिश्नर(क0नि0/क0व0) के जो कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये थे उसमें संशोधन करते हुये उनके कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते है:-

डिप्टी कमिश्नर(क0नि0/क0व0) के कार्य एवं दायित्व:-

1-वसूली के प्रयोजन के लिए नियोजित कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं वसूली योजना में समन्वय स्थापित करने का दायित्व निभाना।

2-प्रत्येक माह में कम से कम दो खण्डों/डिप्टी कमिश्नर (करनिर्धारण)/ असिस्टेन्ट कलेक्टर के कार्यालय का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करना कि वसूली प्रमाण पत्रसमय से जारी हो रहे है

Scanned with OKEN Scanner

या नहीं । अनियमितता पाये जाने पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) के समक्ष कार्यवाही हेतु निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करना ।

3-मुख्यालय को भेजे जाने वाले सामायिक आवरण (प्रारूप- 1,2, 3, 4, 5, 6 ,7 व 8)की समीक्षा करते हुये यह सुनिश्चित करना कि उनमें अन्तर्विष्ट सूचना सही है व यह सूचना इंटरनेट व ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना ।

4-बकाया वसूली के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर आयोजित सामायिक बैठकों में भाग लेना ।

5-यह सुनिश्चित करना कि लेखा अधिकारियों की निरीक्षण आख्या पर समुचित कार्यवाही की जाती है । समुचित अनुपालन रिपोर्ट प्रेषित की जाती है तथा यह सुनिश्चित करना कि उच्चतर अधिकारियों से प्राप्त अनुदेश जिले के व्यापार कर वसूली सम्बन्धित कार्यालयों में सम्यक रुप से रखे जाते है । खण्ड तथा डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के मध्य अमीनों की तैनाती के कार्यक्षेत्र एवं बटवारे का प्रस्ताव ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को प्रस्तुत कराना ।

6- अन्य जिलों में समय से वसूली प्रमाण पत्रों को भेजा जाना सुनिश्चित करना ।

7-अन्य जिलों/चेकपोस्ट से प्राप्त वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त करके उन्हें खण्डवार भेजना तथा वसूली सुनिश्चित करना ।

8-पांच लाख रुपये से अधिक के वसूली प्रकरणों की निरन्तर समीक्षा करना तथा वसूली सुनिश्चित कराया जाना ।

9-जिला प्रशासन से सतत सम्पर्क में रहते हुये, स्थानीय समस्याओं का समाधान कराना ।

10-संग्रह अमीन तथा संग्रह सेवकों के स्थापना का कार्य ।

11-डिप्टी कमिश्नर(क0नि0) व खण्डों से प्राप्त संग्रह अमीन तथा संग्रह सेवकों की वार्षिक प्रविष्टि को रिकार्ड करना ।

12-उत्तर प्रदेश के बाहर से, जिले के बाहर से प्राप्त वसूली प्रमाणपत्रों की वसूली कराना ।

13-प्रत्येक अमीन का तिमाही विस्तृत निरीक्षण करना ।

14-अपलेखन के मामलों को तैयार करा करके ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) के माध्यम से मुख्यालय भिजवाना ।

यहां यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदिकिसी वसूली अधिकारी के पास कम संख्या में वसूली प्रमाण पत्र हैं , तो ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) जिले के अन्य वसूली अधिकारी के पास से वसूली हेतु आवश्यक तद्नुसार वसूली प्रमाणपत्र हस्तान्तरित कर सकते है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व में जारी अन्य बिन्दुओं पर निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे ।

Website no.tredetax.up.nic.in पर भी उपलब्ध है ।

(शंकर अग्रवाल)
कमिश्नर व्यापार कर
उत्तर प्रदेश ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त ।</u>

प्रतिलिपि-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ ।

2-अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, व्यापार कर प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।

3-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/ वि0अनु0अ0/ प्रवर्तन/अपील /उच्च न्यायालय कार्य/ सर्वोच्च न्यायालय कार्य, व्यापार कर उत्तर प्रदेश ।

Scanned with OKEN Scanner

282. Attachment and sale of movable property.—(1) The Collector may whether the defaulter has been arrested or not, attach and sell his movable property.

(2) Every attachment and sale under this section shall be made according to the law in force for the time being for the attachment and sale of movable property in execution of a decree of a civil court.

(3) In addition to the particulars mentioned in clauses (a) to (o) of the proviso to sub-section (1) of Section 60 of the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), articles set apart exclusively for the use of religious worship shall be exempted from the attachment and sale under this section.

(4) and (5) [1][* * *].

[2][283. Recovery proceedings by Land Management Committee.—Where a Land Management Committee has been charged under Section 276 with the duty of collecting and realizing land revenue, the State Government may, by general or special order published in the Gazette, authorize the Committee to recover the arrears by any one or more of the processes mentioned in clauses (a), (c), (d) and (e) of sub-section (1) of Section 279, and on being so authorized the Committee shall in making the recovery follow such procedure as may be prescribed.

[3][284. Attachment, lease and sale of holding.—The Collector may in addition to or instead of any of the processes hereinbefore specified either of his own motion or on the application of the Land Management Committee, attach the holding in respect of which an arrear is due.

(2) Where any holding is so attached the Collector may, notwithstanding anything contained in this Act, but subject to such conditions as may be prescribed, let out the holding, for such period not exceeding ten years commencing from the first day of July next following as he deems fit, to any person other than the defaulter, who pays the whole of the arrear due on the holding and agrees to pay the same amount of land revenue during this period of the lease as has been payable by the defaulter in respect of the holding immediately preceding its attachment.

(3) If during the period of lease, the lessee commits default in payment of the land revenue due under the lease the arrear may be recovered from him by any one or more of the processes mentioned in clauses (a) to (c), (f) and (g) of sub-section (1) of Section 279 and his lease shall also be liable to be determined.

(4) Upon the expiry of the period of lease the holding shall be restored to the tenure-holder concerned free of any claim on the part of the State Government for any arrear of revenue in respect thereof.

(5) If the Collector is satisfied that no suitable person is forthcoming to take the land on lease under sub-section (2) then notwithstanding anything contained in this Act he may sell the holding free from all encumbrances in such manner as

1. Sub-sections (4) and (5) omitted by Section 16 of U. P. Act No. XII of 1965.
2. Subs. by Section 17 of U. P. Act No. XII of 1965.
3. Added by Section 18 of U. P. Act No. XII of 1965.

282. चल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय.—(1) व्यतिक्रमी गिरफ्तार हुआ हो अथवा नहीं, कलेक्टर उसकी चल सम्पत्ति को कुर्क और विक्रय कर सकता है।

(2) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक कुर्की और विक्रय, दीवानी न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में चल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के विषय में समय-विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार किया जायेगा।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 60 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (क) से (ण) तक उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, ऐसी वस्तुयें भी जो केवल धार्मिक उपासना के लिये अलग कर दी गई हों, इस धारा के अधीन कुर्की और विक्रय से मुक्त रहेंगी।

(4) व (5) [1][* * *] निरस्त।

[2][283. भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा वसूली की कार्यवाही.—जहाँ धारा 276 के अन्तर्गत किसी भूमि-प्रबन्धक समिति को मालगुजारी की वसूली और उगाही से भारित किया गया है तो राज्य सरकार राजपत्र में आम या विशेष आदेश प्रकाशित करके समिति को धारा 279 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ग), (घ) और (ङ) में उल्लिखित किसी एक या अधिक तरीकों से बकाया वसूली करने के लिये प्राधिकृत कर सकती है और इस प्रकार प्राधिकृत किये जाने पर समिति वसूली करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसी कि विहित की जाये।

[3][284. खाते की कुर्की, पट्टा और बिक्री.—(1) कलेक्टर एतत्पूर्व उल्लिखित किन्हीं प्रक्रमों के अतिरिक्त या बजाये, या तो स्वतः या भूमि-प्रबन्धक समिति की प्रार्थना पर, उस खाते को कुर्क कर सकता है जिसके सम्बन्ध में कोई बकाया देय है।

(2) जहाँ कोई खाता, इस तरह कुर्क किया गया हो, कलेक्टर, इस अधिनियम में कोई अन्य व्यवस्था होने के बावजूद, लेकिन विहित की गई शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, खाते की, ऐसी अवधि के लिये जो आगे आने वाली पहली जुलाई से दस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये, पट्टे पर व्यतिक्रमी के अलावा किसी और व्यक्ति को उठा सकता है, जो उस खाते पर देय समस्त बकाया का भुगतान करे और मालगुजारी की वही रकम पट्टे की अवधि के दौरान, जो कि व्यतिक्रमी कुर्की से ठीक पहले देता रहा हो, अदा करने का करार करे।

(3) यदि पट्टे की अवधि के दौरान, पट्टेदार पट्टे के अन्तर्गत देय मालगुजारी के भुगतान में चूक करता है, तो बकाया धारा 279 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) तक व (च) और (छ) में वर्णित प्रक्रमों में से किसी एक या अधिक के द्वारा उसे वसूल किया जा सकता है और उसका पट्टा भी समाप्त किया जा सकेगा।

(4) पट्टे की अवधि समाप्ति हो जाने पर, खाता सम्बन्धित खातेदार को उससे सम्बद्ध किसी बकाया मालगुजारी के राज्य सरकार के किसी दावे से मुक्त लौटा दिया जायेगा।

(5) यदि कलेक्टर सन्तुष्ट हो जाये कि उपधारा (2) के अन्तर्गत कोई उपयुक्त व्यक्ति पट्टे पर लेने के लिये नहीं आ रहा है, तो इस अधिनियम में कोई अन्य व्यवस्था होने के बावजूद वह खाते को समस्त आभारों से मुक्त ऐसी रीति से जैसा कि विहित की जाये, बेच सकता है

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1965 द्वारा उपधारा (4) तथा (5) हटाया गया।
2. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1965 द्वारा बदला गया।
3. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1965 द्वारा जोड़ा गया।

Scanned with OKEN Scanner

may be prescribed and appropriate the proceeds in satisfaction of the arrears and refund the excess, if any, to the defaulter.

(6) The Collector shall report to the Board of Revenue any sale made under sub-section (5).

[1][284-A. Ejectment of persons occupying the attached land without title.—Any person taking or retaining possession otherwise than in accordance with the provisions of this Act, of any land attached under this Chapter shall be liable to ejectment and to pay damages—

(a) in case of the land being let out or sold under Section 284, on the suit of the lessee or purchaser, as the case may be, and

(b) in any other case on the suit of the Collector or of the Land Management Committee according as the attachment is made by the Collector or the Committee].

285. [* * *].

Note—Section 285 was deleted by U. P. Land Laws (Amendment) Act No. 12 of 1965.

286. Power to proceed against interest of defaulter in other immovable property.—(1) If any arrears of land revenue cannot be recovered by any of the processes mentioned in clauses (a) to (e) of Section 279, the Collector may realise the same by attachment and sale of the interest of the defaulter in any other immovable property of the defaulter.

(2) Sums of money recoverable as arrears of land revenue but not due in respect of any specific land, may be recovered by process under this section from any immovable property of the defaulter including any holding of which he is *bhumidhar* or *asami*.

[2][286-A. Appointment of receiver.—(1) Notwithstanding anything in this Act when an arrear of revenue or any other sum recoverable as an arrear of revenue is due, the Collector, may in addition to or instead of any of the processes hereinbefore specified, by order—

(a) appoint, for such period as he may deem fit, a receiver of any movable or immovable property of the defaulter;

(b) remove any person from the possession or custody of the property;

(c) commit the same to the possession, custody or management of the receiver;

(d) confer upon the receiver all such powers, as to bringing and defending suits and for the realization, management, protection, preservation and improvement of the property, the collection of the rents and profits thereof, the application and disposal of such rents and profits, and the execution of documents, as the defaulter himself has or such of those powers as the Collector thinks fit.

1. Added by Section 19 of U. P. Act No. XII of 1965.
2. Added by Section 22 of U. P. Act XII of 1965.

और उसके आगामों को बकाया के चुकाने में प्रयोग कर सकता है, और बदौलती को, यदि कोई हो, व्यतिक्रमी को वापस कर सकता है।

(6) उपधारा (5) के अन्तर्गत किये गये विक्रय को कलेक्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को संसूचित करेगा।

[1][284-क. कुर्क की गई भूमि से बिना हक के काबिज व्यक्तियों की बेदखली.—इस अध्याय के अन्तर्गत कुर्क की गई किसी भूमि को यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्यथा, कब्जे में लेता या रखता है, वह बेदखल किया जा सकेगा और क्षतिपूर्ति का दायी होगा—

(क) यदि भूमि धारा 284 के अन्तर्गत पट्टे पर दी गई या बेची गई हो, तो पट्टेदारी या खरीदार के वाद पर जैसी भी स्थिति हो, और

(ख) किसी और मामले में, कुर्की कलेक्टर या भूमि-प्रबन्धक समिति द्वारा की गई हो, तो कलेक्टर के या भूमि-प्रबन्धक समिति के वाद पर;

285. [* * *]।

नोट—उ०प्र० भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का उ०प्र० अधिनियम संख्या 12) द्वारा हटाया गया।

286. व्यतिक्रमी का अन्य अचल सम्पत्ति में हित के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार.—(1) यदि मालगुजारी की कोई बकाया धारा 279 के खण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित प्रक्रमों में से किसी भी प्रक्रम द्वारा वसूल न हो सके तो कलेक्टर उक्त व्यतिक्रमी की किसी दूसरी अचल सम्पत्ति में हित की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली कर सकता है।

(2) वह धनराशि जो मालगुजारी की बकाया के बतौर वसूली जा सकती है, लेकिन किसी विशिष्ट भूमि के बाबत देय नहीं है, इस धारा के अन्तर्गत व्यतिक्रमी की किसी अचल सम्पत्ति से उस जोत सहित जिसका कि वह भूमिधर या असामी है, कार्यवाही द्वारा वसूल की जा सकती है।

[2][286-क. प्रापक की नियुक्ति.—(1) इस अधिनियम में कोई अन्यथा व्यवस्था होने के बावजूद, जब मालगुजारी का कोई बकाया देय हो कलेक्टर एतत्पूर्व उल्लिखित प्रक्रमों में से किसी के अतिरिक्त या बजाय, आदेश द्वारा—

(क) ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, व्यतिक्रमी की किसी चल या अचल सम्पत्ति का प्रापक नियुक्त कर सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति को उस सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से अलग कर सकता है,

(ग) उसकी प्रापक के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है,

(घ) प्रापक को ऐसी सब शक्तियाँ जैसी की वादों को लाने या प्रतिवाद करने और वसूली, प्रबन्ध, रक्षा, सम्पत्ति के संरक्षण और विकास, उसके लगानों और लाभों के संग्रह, ऐसे लगानों और लाभों के ऐसे उपयोग और व्ययन और दस्तावेजों के निष्पादन के लिये हों, तो कि व्यतिक्रमी स्वयं रखता हो या उनमें से ऐसी शक्तियाँ, जिन्हें कलेक्टर ठीक समझे, प्रदत्त कर सकता है।

1 उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1965 द्वारा जोड़ा गया।
2 उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 1965 द्वारा जोड़ा गया।

Scanned with OKEN Scanner

(2) Nothing in this section shall authorise the Collector to remove from the possession or custody of property to any person whom the defaulter has not at present right to remove.

(3) The Collector may from time to time extend the duration of appointment of the receiver.

[1][(3-A) No order under sub-section (1) or sub-section (3) shall be made except after giving notice to the defaulter to show cause, and after considering any representations that may be received in by the Collector in response to such notice :

Provided that an interim order under sub-section (1) or sub-section (3) may be made at any time before or after the issue of such notice :

Provided further that where an interim order is made before the issue of such notice the order shall stand vacated if no notice is issued within two weeks from the date of the interim order.

(4) The provisions of Rules 2 to 4 of Order XL contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 shall apply in relation to a receiver appointed under this section as they apply in relation to a receiver appointed under the said Code with the substitution of references to the Collector for references to the Court.]

287. Recovery of arrears paid by a person appointed under Section 275.—A *bhumidhar* or a person appointed under Section 275 who has paid the arrears of revenue due on account of any tenure-holder may, in addition to any other mode of recovery open to him, within six months of the payment of such amount, apply to the Collector to recover such arrears on his behalf as if it were an arrear of land revenue payable to Government.

The Collector shall on receipt of such application satisfy himself that the amount claimed is due to such a person and may then proceed to recover, as if it were an arrear of revenue, such amount with costs and interest from the said tenure-holder or any person in possession of his tenure.

The Collector shall not be a defendant to any suit in respect of the amount for the recovery of which an order has been passed under this section.

No appeal shall lie against the order of the Collector under this section, but nothing contained therein and no order passed under this section, shall debar the tenure-holder from maintaining a suit for arrears of land revenue.

[2][287-A. Payment under protest and suit for recovery.—(1) Whenever proceedings are taken under this Chapter against any person for the recovery of any arrears of land revenue or for the recovery of any sum of money recoverable as arrears of land revenue he may pay the amount claimed under protest to the officer taking such proceedings, and upon such payment, the proceedings shall be stayed and the person against whom such proceedings were taken may sue

1. Ins. by U. P. Act XXXIV of 1974.
2. Ins. by Section 17 of U. P. Act No. XXXIV of 1974.

(2) इस धारा की कोई बात कलेक्टर को सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को हटाने का अधिकार नहीं देती है जिसे व्यतिक्रमी को हटाने का वर्तमान अधिकार नहीं रखता है।

(3) कलेक्टर समय-समय पर प्रापक की नियुक्ति की अवधि बढ़ा सकता है।

[1][(3-क) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई भी आदेश, व्यतिक्रमी को कारण दर्शाने नोटिस दिये बिना और ऐसे अभिवेदनों पर विचार करने के बाद जो कि ऐसी नोटिस के जवाब में प्राप्त हों, नहीं दिया जायेगा।

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई अन्तरिम आदेश, किसी भी समय नोटिस जारी करने के पूर्व या पश्चात् किया जा सकता है।

परन्तु जहाँ एक अन्तरिम आदेश ऐसे नोटिस जारी होने के पूर्व किया गया है, तो ऐसा आदेश रद्द हो जायेगा यदि अन्तरिम आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर नोटिस जारी नहीं किया जाता है।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम सूची में आर्डर XL के नियम 2 से 4 तक के प्रावधान इस अध्याय के अन्तर्गत नियुक्त एक प्रापक के सम्बन्ध में लागू होंगे, जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अन्तर्गत नियुक्त एक प्रापक के सम्बन्ध में लागू होते हैं, केवल जहाँ न्यायालय का उल्लेख है वहाँ कलेक्टर का उल्लेख प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा।]

287. धारा 275 के अन्तर्गत नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दी गई बकाया की वसूली.—यदि किसी भूमिधर ने अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने जो धारा 275 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है, किसी खातेदार द्वारा देय मालगुजारी की बकाया अपने पास से दी हो, इन प्रकार दी गई बकाया जो उसके वास्तविक देनदार से वसूल करने के अन्य सम्मत विधिक उपायों के अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार होगा कि वह उक्त बकाया के भुगतान से छः मास के अन्दर कलेक्टर को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे कि ऐसी बकाया उसे इस प्रकार वसूल करा दी जाये मानो वह सरकार को देय मालगुजारी की ही बकाया हो।

ऐसे प्रार्थना-पत्र पाने पर कलेक्टर इस बात का सन्तोष कर लेने के बाद कि माँगी जाने वाली राशि प्रार्थी को देय है, उक्त खातेदार या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो खाते के कब्जे में है, व्यय और ब्याज सहित ऐसी धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह मालगुजारी का बकाया हो।

इस धारा के अन्तर्गत राशि की वसूली के सम्बन्ध में दिये गये आदेश के विरुद्ध दायर किये गये वाद में कलेक्टर प्रतिवादी नहीं होगा।

इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी लेकिन ऐसी आज्ञा या उसमें कही गई कोई बात मालगुजारी की बकाया के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने के मार्ग में बाधक न होगी।

[2][287-क. विरोध स्वरूप दिया गया भुगतान और वापसी के लिए वाद.—(1) जब कभी इस अध्याय के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध मालगुजारी की किसी बकाया की वसूली के लिए या मालगुजारी की किसी बकाया के रूप में वसूली-योग्य धन की किसी राशि की वसूली के लिए, कार्यवाहियाँ की जाती हैं, वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही करने वाले अधिकारी के पास ऐसे बकाया की राशि आपत्ति सहित अदा कर सकता है और उसके इस प्रकार अदा

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 34 सन् 1974 द्वारा जोड़ा गया।
2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 34 सन् 1974 द्वारा जोड़ा गया।

Scanned with OKEN Scanner

the State Government in the Civil Court for the amount so paid, and in such suit the plaintiff may, notwithstanding anything contained in Section 278, give evidence of the amount, if any, which he alleges to be due from him.

(2) No protest under this section shall enable the person making the same to sue in the Civil Court, unless it is made at the time of payment in writing and signed by the person or by an agent duly authorized in this behalf].

288. Provisions applied to arrears due at the commencement of Act.—The provisions of this Act with regard to the recovery of arrears of revenue shall apply to all arrears of revenue and sums of money recoverable as arrears of revenue due at the commencement of this Act.

289. to 291. [1][* * *].

292. Payment of rent or other dues in respect of attached land.—No payment on account of rent or other dues in respect of any land attached under this Chapter made after such attachment by the *asami* or any other person in possession thereof to any person other than the Collector shall be valid discharge].

293. Provisions of U.P. Act III of 1901, applied to applications and proceedings under this Chapter.—The provisions of Chapter IX and X of the United Provinces Land Revenue Act III of 1901, as amended by this Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to applications and proceedings made or taken under this Chapter.

294. Power to make rules.—(1) The State Government may make rules for

करने पर कार्यवाहियाँ रोक दी जायेंगी और इस प्रकार अदा करने वाला व्यक्ति उस धनराशि की वसूली के लिये सिविल न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध वाद योजित कर सकता है और ऐसे वाद में वादी, धारा 278 में किसी बात के होने के बावजूद, ऐसी राशि, यदि कोई हो, का साक्ष्य दे सकता है जो उससे शोध्य हों।

(2) ऐसे व्यक्ति की वह आपत्ति उस समय तक राज्य सरकार के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद योजित करने के समर्थ न बनायेगी जब तक कि वह भुगतान के समय लिखित रूप में न की गई हो और जब तक ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके द्वारा समुचित रीति से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

288. अधिनियम के प्रारम्भ पर देय बकायों पर लागू किये गये उपबन्ध.—मालगुजारी के बकायों की वसूली के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध उन समस्त, मालगुजारी के बकायों के रूप में वसूली योग्य धन की राशियों पर जो इस अधिनियम के आरम्भ में देय हों, लागू होंगे।

289. से 291. तक. [1][* * *].

292. कुर्क की गई भूमि के सम्बन्ध में लागत या अन्य देयों का भुगतान.—इस अध्याय के अन्तर्गत कुर्क की गई किसी भूमि के सम्बन्ध में लगान या अन्य देयों के हिसाब ऐसी कुर्की के बाद असामी या अन्य किसी कब्जेदार व्यक्ति के द्वारा कलेक्टर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया गया कोई भुगतान वैध परिशोध नहीं होगा।

293. इस अध्याय के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों को यू०पी० ऐक्ट सं० 3, 1901 के प्रावधान लागू होंगे.—इस अधिनियम द्वारा संशोधित यू०पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के अध्याय 9 और 10 के प्रावधान जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, इस अध्याय के अधीन दिये गये प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

294. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार के इस अध्याय के प्रावधानों को

Scanned with OKEN Scanner

[1][When the amount of recovery does not exceed Rs. 50	...	50 Naya Paise.
When such amount exceeds Rs. 50 but does not exceed Rs. 1, 000	...	One rupee.
When such amount exceed Rs. 1,000	...	Three rupees.]

260. The fees leviable under Rules 258 and 259 shall be paid into the treasury with as little delay as possible.

(e) Maintenance and custody of live stock and other movable property attached

261. Where live-stock or other movable property has been attached, the attaching officer shall—

(a) if the defaulter furnishes such security as appears to the officer to be sufficient order that it be left in the custody of the defaulter, or

(b) if the defaulter does not furnish such security and some respectable person is willing to undertake the custody and to produce the live-stock or other movable property when required order that it will be placed in the custody of such person.

262. The attaching officer shall enter a brief description of the property attached—

(a) in the order referred to in rule 261, and

(b) in the report of attachment made by him to the Court.

263. Where arrangement for the custody of the property cannot be made under Rule 261 the attaching officer shall—

(a) If it is live-stock, remove it to the nearest pound,

(b) If it is other movable property appoint one or more-caretakers.

264. Where live-stock is removed to a pound, under rules 363 the pound-keeper shall enter in a register—

(a) the number and description of the stock;

(b) the day and hour when the stock was committed to his custody; and

(c) the name of the attaching officer who so committed it, and shall give the attaching officer copy of the entry.

265. The pound-keeper shall take charge of all animals committed to his charge, and shall duly feed and water them.

266. (i) For every animal committed in the custody of the pound- keeper there shall be leviable a rent for the use of the pound for each period during which the custody continues, in accordance with the scale prescribed in Section 12 of the Cattle Trespass Act, 1871.

(ii) The sums so levied shall be sent to the treasury to be credited to the funds of the local authority by which the pound is maintained, or made over to the pound-keeper concerned.

1. Subs. by Notification No. 558-RS/I-A-342-D-57, dated February 16, 1959.

[1][यदि वसूल की जाने वाली धनराशि 50 रु० से अधिक न हो...	...	50 नये पैसे से
यदि ऐसी धनराशि 50 रु० से अधिक हो, लेकिन 1,000 रु० से अधिक न हो	...	1रु०
यदि ऐसी धनराशि 1,000 रु० से अधिक हो	...	तीन रु०]

260. उपर्युक्त नियम 258 तथा 259 के अधीन आदेय शुल्क खजाने में शीघ्रातिशीघ्र जमा कर दिया जायेगा।

(ङ) कुर्क पशुधन व अन्य चल सम्पत्ति का रखरखाव तथा अभिरक्षा

261. उस स्थिति में जब पशुधन या अन्य चल सम्पत्ति कुर्क की गई हो कुर्क अधिकारी—

(क) बाकीदार के ऐसे प्रतिभूति (जमानत) देने पर, जिसे वह पर्याप्त समझे आज्ञा देगा कि बाकीदार की अभिरक्षा में रखने दिया जाये, या

(ख) यदि बाकीदार ऐसी प्रतिभूति (जमानत) न दे और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति पशुधन या चल सम्पत्ति को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिये तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे उपस्थित करने के लिये तैयार हो तो कुर्क अधिकारी आज्ञा देगा कि उसे ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में दे दिया जाये।

262. कुर्क अधिकारी,

(क) नियम 261 में अभिदिष्ट आज्ञा में, तथा

(ख) न्यायालय को प्रेषित अपनी प्रसूचना में कुर्क की गयी सम्पत्ति का संक्षिप्त वर्णन करेगा।

263. नियम 261 के अधीन जब सम्पत्ति की अभिरक्षा (custody) का प्रबन्ध न किया जा सके, तो कुर्क अधिकारी—

(क) पशुधन की स्थिति में उसे निकट के कांजीहाउस (pound) में भेज देगा, और

(ख) अन्य चल सम्पत्ति की स्थिति में उसके लिये एक या अधिक अवधाता (Caretaker) नियुक्त करेगा।

264. यदि नियम 263 के अधीन पशुधन किसी कांजीहाउस में भेजा जाये, तो कांजीहाउस का रक्षक (Pound keeper) :—

(क) पधुधन की संख्या और उसका वर्णन;

(ख) वह दिनांक तथा समय (hour) जब पशुधन उसकी अभिरक्षा में आया हो; तथा

(ग) उस कुर्क अधिकारी का नाम, जिसने संपत्ति सौंपी हो, एक रजिस्टर में लिखेगा, और ऐसे इन्दराज की एक प्रतिलिपि कुर्क अधिकारी को दे देगा।

265. कांजी हाउस का रक्षक (Pound-keeper) उसे सौंपे गए सभी पशुओं को अपने अवधान में ले लगा और उन्हें उचित रूप में चारा पानी देगा।

266. (1) कांजीहाउस के रक्षक (Pound-keeper) को सौंपे गये प्रत्येक पशु के सम्बन्ध में कांजीहाउस के प्रयोग के निमित्त अभिरक्षा की प्रत्येक अवधि के लिये कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, 1871-की धारा 12 में निर्धारित दर के अनुसार किराया आदेश होगा।

(2) इस प्रकार आदेय धनराशियाँ उस स्थानीय अधिकारिकी से कोष में जमा करने के लिये खजाने में भेज दी जायेंगी जिसके प्रबन्ध में काजीहाउस हो या सम्बद्ध कांजीहाउस के रक्षक को दे दी जायेगी।

1. अधिसूचना संख्या 558-आरएस/आईए-342-डी-57, दिनांक 16 फरवरी, 1959 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) All such sums shall be applied in the same manner as fines levied under Section 12 of the Cattle Trespass Act, 1871.

(iv) The pound-keeper shall also be paid for feeding and watering any animal committed to his custody by proper authority, at the rate for the time being fixed under Section 6 of the Cattle Trespass Act, 1871, for feeding and watering impounded cattle.

267. An animal committed to the custody of the pound keeper shall not be released otherwise than upon the order in writing of the officer issuing the order of attachment or the Tahsildar addressed to the pound keeper. The officer shall also direct that the live stock shall be released only after all charges leviable under rule 266 are paid to the pound keeper.

268. The cost of preparing live-stock for sale or of conveying it to the place at which it is to be kept or sold, and the cost of feeding the live-stock while in the custody of the pound-keeper, shall be payable out of the sale proceeds.

269. A caretaker appointed under clause (b) of rule 268 shall, if necessary be paid a daily sum of not less than [1][9 naye paise] or more than [1][37 naye paise] but the officer issuing the order of attachment may, by order in writing, allow a higher rate for reasons to be expressly mentioned.

270. When the live-stock or other movable property is released from attachment or sold, the charges payable in connection with the attachment and sale shall be ascertained and recorded by the attaching officer or the officer holding the sale, and shall, so far as possible, be discharged by him from the amount if any, paid in by the defaults before the release of the live-stock of other movable property, or from the proceeds of the sale.

271. If—

(a) the live-stock is adjudged to belong to a third person who has objected to the attachment, or

(b) the proceeds of the sale are found to be insufficient, or

(c) for any other reasons payment of the charge cannot be made.

the attaching officer or the officer holding the sale shall report the matter to the officer issuing the order of attachment or sale, who shall direct the realization from the defaulter as arrear of land revenue of all costs still due, including that of feeding the live-stock, along with the principal dues, if any, still left to be realized.

(f) Attachment of lease of land

272. Sections 279, 284, 286, 289 and 291—[2][(1) Process for the attachment of a holding under clause (a) of Section 279 or for lease of a holding under Section 291 may be issued only by the Collector.

1. Subs. by Notification No. 558-RS/I-A-342-D-57, dated February 16, 1959.
2. Subs. by Notification No. 9203 (1)/I-A-463-1955, dated February 11, 1983.

(3) ऐसी सभी धनराशियाँ उसी प्रकार काम में लाई जायेंगी जिस प्रकार कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, 1871 की धारा 12 के अधीन आदेय अर्थदण्ड काम में लाये जाते हैं।

(4) कांजीहाउस के रक्षक को किसी भी ऐसे पशु के लिये, जो उपयुक्त आधिकारिकी द्वारा उसे सौंपा जाये, चारे और पानी के लिये उसी दर से धन चुकाया जायेगा जो कांजीहाउस में बन्द किये गये पशुओं के चारे और पानी के लिये कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट, 1871 की धारा 5 के अधीन समय विशेष पर निश्चित की गयी हो।

267. कांजीहाउस के रक्षक की अभिरक्षा में सौंपा गया कोई भी पशु तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कुर्की की आज्ञा देने वाला अधिकारी या तहसीलदार कांजीहाउस के रक्षक को लिखित आज्ञा न दे दे। वह इस बात का भी निर्देश करेगा कि कांजीहाउस के रक्षक को के अधीन आदेय सभी परिव्ययों को भुगतान कर दिये जाने पर ही पशु छोड़े जायें।

268. वह परिव्यय जो पशु धन को बिक्री के लिये तैयार करने या उस स्थान पर ले जाने में हो जहाँ वह रखा या बेचा जाय, तथा वह परिव्यय, जो कांजीहाउस के रक्षक की अभिरक्षा की अवधि में पशु-धन के चारे पानी के सम्बन्ध में हो, बिक्री द्वारा प्राप्त धन में से दिया जायेगा।

269. नियम 263 के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त अवधाता (care-taker) को, यदि आवश्यक हो, प्रतिदिन कम से कम [1][19 नये पैसे] और अधिक से अधिक [1][37 नये पैसे दिये जायेंगे] किन्तु कुर्की की आज्ञा जारी करने वाला अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा ऐसे कारणों के आधार पर, जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा, इसके अधिक दर से अधिक भुगतान किये जाने को भी अनुमति दे सकता है।

270. यदि पशु-धन या अन्य सम्पत्ति कुर्की से मुक्त (release) की जाये या उसे नीलाम कर दिया जाये तो कुर्क अधिकारी या नीलाम करने वाला अधिकारी कुर्की और नीलाम सम्बन्धी देय परिव्ययों को निश्चित और अभिलिखित करेगा और जहाँ तक सम्भव हो सकेगा पशु-धन या अन्य सम्पत्ति को मुक्त करने से पहले बाकीदार द्वारा दी गयी धनराशि में से, यदि कोई दी गई हो, या नीलाम की धनराशि में से, परिशोधित (discharge) कर लेगा।

271. यदि—

(क) पशु-धन के सम्बन्ध में यह निर्णय हो कि वह किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति की सम्पत्ति है. जिसने कुर्की का विरोध किया है, या

(ख) नीलाम मे प्राप्त आय (proceeds) अपर्याप्त हो. या

(ग) किसी अन्य कारण से परिव्यय का भुगतान न किया जा सके, तो कुर्क अधिकारी या नीलाम करने वाला अधिकारी कुर्की और नीलाम की आज्ञा देने वाले अधिकारी को इस तथ्य की प्रसूचना (report) देगा, और नीलाम की आज्ञा देने वाला अधिकारी, बाकीदार से वसूल किये जाने वाले सभी परिव्ययों, जिसमें पशुधन के चारे का व्यय भी सम्मिलित होगा, तथा वसूल न हुई अन्य मुख्य देय धनराशियों को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल कर लिये जाने का निर्देश करेगा।

(च) भूमि की कुर्की या उसे पट्टे पर उठाना

इस शीर्षक के अन्तर्गत प्रसर कमिश्नरी (Division) के कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति लेकर केवल कलेक्टर द्वारा ही जारी किया जा सकता है।

272. (1) धारा 279 [2][(1) के खण्ड (घ) के अधीन किसी खाते की कुर्की का प्रसर या धारा 291 के अधीन किसी खाते को पट्टे पर उठाने के लिये प्रसर केवल कलेक्टर द्वारा ही जारी किया जा सकता है।

1. अधिसूचना संख्या 558-आरएस/आईए-342-डी-57, दिनांक 16 फरवरी, 1959 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या 9203 (1)/आईए-463-1955, दिनांक 11 फरवरी, 1983 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

(2) Process for attachment of a village or any area therein under Section 289 may be issued by the Collector with the previous sanction of the [Board of Revenue], while submitting his proposal for attachment to the [Board of Revenue], the Collector shall report how he proposes to manage the land during the period of attachment, and the period for which the attachment is proposed.

(3) Where a holding is attached under clause (d) of Section 297, the Collector shall forthwith make necessary arrangement for the cultivation of land either by grant of a lease under Section 291 or in such other manner as he considers desirable.]

272-A. Before proposing attachment under Section 289, the Collector should satisfy himself by reference to the Pargana Book and other sources of information available to him, that there is a resonable probability of the arrears being recovered by this process within the period of three years allowed by the Act. If the Collector or the [Board of Revenue] is not satisfied the attachment shall not be made except as a preliminary measure to some more severe process.]

272-B. The directions contained in paragraphs 713 to 716 of the Revenue Manual as to provision for the cost of collecting establishment and local management, shall apply mutatis mutandis to land under management after attachment for arrears of revenue.]

[1]**273.** [Where any land is attached in pursuance of the provisions of clause (d) or (f) of Section 279 or sub-section (1) of Section 284 or of Section 286 or is left out under sub-section (2) of Section 284 a proclamation in Z.A. Form 73, shall be affixed at a conspicuous place in the village in which the land is situate, and it shall also be notified by beat of drum.]

[1][**273-A.** The attachment of holding or other immovable property under clause (h) and (f) of Section 278 or under Section 284 or Section 285, shall be effected in the manner prescribed in Order XXI, Rule 54 of the Code of Civil Procedure, 1908 and the order to the defaulter shall be issued in Z.A. Form 73-D.]

274. [2][* * *].

275. [2][* * *].

276. [2][* * *].

277. [2][* * *].

[3][**278.** As soon as may be, after the holding is attached under sub- section (1) of Section 284, the Collector shall proceed to let out the holding to any person other than the defaulter, whom he thinks fit, and who pays the whole of the arrears due on the holding before a lease is given to them in respect of that holding.]

[4][**279.** The lease given by the Collector under Section 234 shall be in Z.A. Form 73-C.]

1. Subs. by Notification No. U. O. 43-RZ/I-A-115-D, 1957, dated January 27, 1960, and Subs. by Notification No. 365/1-A-2-1 (2) 68, dated January 28, 1969.
2. Deleted by Notification No. 9203 (1)/I-A-463-1952, dated February 11, 1953.
3. Subs. by Notification No. 309/1-A-2-1 (2)-68, dated January 28, 1969.
4. Deleted by Notification No. 9203 (1)/I-A-46-52, dated February 11, 1953, and Ins. by Notification No. 315-R (4)/I-A-1042-55, dated February 20, 1975, and substituted by Notification No. 365/1-A-2-1 (2)-68, dated January 28, 1969.

(2) धारा 289 के अधीन किसी गाँव या उसके किसी क्षेत्र की कुर्की का प्रसर [राजस्व बोर्ड] की पूर्व स्वीकृति से कलेक्टर द्वारा जारी किया जा सकता है। [राजस्व बोर्ड] के पास कुर्की के सम्बन्ध अपना प्रस्ताव भेजने के साथ ही कलेक्टर इस बात का उल्लेख करेगा कि वह कुर्की की अवधि में भूमि का प्रबन्ध किस प्रकार करना चाहता है और उस अवधि का भी जिसके लिये कुर्की का प्रस्ताव किया गया है।

(3) जब कोई खाता धारा 279 के खण्ड (घ) के अधीन कुर्क कर लिया गया हो तो कलेक्टर तुरन्त ही या तो धारा 291 के अधीन भूमि को पट्टे पर उठाकर या ऐसी किसी रीति से जिसे वह वांछनीय समझे, भूमि की खेती के लिये आवश्यक व्यवस्था करेगा।

272-क. धारा 289 के अधीन कुर्की का प्रस्ताव करने के पूर्व कलेक्टर को परगना पुस्तक (Pargana Book) देखकर और जानकारी के अन्य साधनों से जो उसे उपलब्ध हों, सूचना प्राप्त करके इस बात का अपना सन्तोष कर लेना चाहिये कि इस प्रक्रिया से अधिनियम द्वारा विहित तीन वर्षों की अवधि के भीतर बकाया वसूल हो जाने की यथोचित सम्भावना है यदि कलेक्टर या [राजस्व बोर्ड] को इस बात का सन्तोष न हो तो उस दशा को छोड़कर जब वह किसी अधिक कठोर प्रसर (more server Process) प्राथमिक कार्यवाही के रूप हों, कुर्की नहीं की जायेगी।

272-ख. वसूली करने वाले कर्मचारी वर्ग तथा स्थानीय प्रबन्ध के परिव्ययों की व्यवस्था करने के निमित्त रेवेन्यू मैनुअल अनुच्छेद 713 से 716 तक में दिये गये निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस भूमि पर भी लागू होंगे जो मालगुजारी की बकाया के लिये कुर्की के बाद प्रबन्ध में ली गयी हो।]

[1]**273.** [यदि कोई भूमि, धारा 279 के खंड (घ) या खण्ड (च) या धारा 284 की उपधारा (1) या धारा 286 के उपबन्धों के अधीन कुर्क कर ली गई हो या धारा 284 की उपधारा (2) के अधीन उठा दी गई हो, तो ज०वि० आकार-पत्र 73 में एक घोषणा उस गाँव के किसी प्रमुख स्थान पर लगा दी जायेगी, जिसमें भूमि स्थित हो और डुग्गी पीट कर विज्ञापित भी की जायेगी।]

[1][**273-क.** धारा 279 (1) के खंड (घ) या (छ) या धारा 284 या धारा 286 के अधीन खाते अथवा अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के आर्डर 21 के नियम 54 में विहित रीति से की जाएगी तथा बाकीदार को आज्ञा ज०वि० आकार-पत्र 73-घ में जारी की जायेगी।

274. [2][* * *]

275. [2][* * *]

276. [2][* * *]

277. [2][* * *]

[3][**278.** धारा 284 की उपधारा (1) अधीन खाते की कुर्की की जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कलेक्टर बाकीदार के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, और जो खाते के सम्बन्ध में बकाया की पूरी धनराशि का भुगतान उस खाते का पट्टा उसे दिये जाने के पूर्व कर दे. खाता उठा देने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।]

[4][**279.** धारा 284 के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया पट्टा ज०वि० आकार-पत्र 73-ग में होगा।]

1. अधिसूचना संख्या यू.ओ. 43-आरजेड/आईए-115-डी, 1957, दिनांक 27 जनवरी, 1960 और सब्क्रिप्शन द्वारा प्रतिस्थापित। अधिसूचना संख्या 365/1-ए-2-1 (2) 68, दिनांक 28 जनवरी 1969 द्वारा।
2. अधिसूचना संख्या 9203(1)/आईए-463-1952, दिनांक 11 फरवरी, 1953 द्वारा हटा दिया गया।
3. अधिसूचना संख्या 309/1-ए-2-1(2)-68 28 जनवरी 1969 की द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना संख्या 9203 (1)/आईए-46-52, दिनांक 11 फरवरी, 1953 और इस द्वारा हटा दिया गया। अधिसूचना संख्या 315-आर (4)/आईए-1042-55, दिनांक 20 फरवरी, 1975 द्वारा, और अधिसूचना संख्या 365/1-ए-2-1 (2)-68, दिनांक 28 जनवरी, 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

280. [1][Deleted].

[2][280-A. When a lease is made under Section [3][234] the Collector shall issues orders for the necessary mutation of names to be made in the registers. No fee shall be levied in respect of any such mutation.]

Sale of Immovable property

281. Section 284—[4][Recourse can only be had to the sale of the holding under Section 284 when the processes specified in clauses (a), (b), (c) or (d) of Section 279 would be insufficient for the recovery of the arrear.

[5](2) Process for sale of holding under Section 284 and other immovable property under Section 286 shall be issued by the Collector.

(2-A) In the case of sale of a holding the Collector shall auction the holding in lots of 1.26 hectares (3.25 acres) to 5.04 hectares (12.50 acres) after working out and announcing the land revenue and the estimated value of each lot.

It should also be made clear that only those person would bid in the auction, acquisition of land who would not contravene provisions of Section 154.]

(3) [6][* * *].

282. Section 286—The proclamation for sale shall be in Z.A. Form 74.

[7][283. In proclamation for sale under Section 286, Collector shall state the amount of the annual demand and the estimated value of the property calculated in accordance with the rules in Chapter XV of the Revenue Manual.]

284. (1) When the land is put up for sale a charge shall be levied on account of the costs of every sale, upon such amount not exceeding the total such due for recovery as may be realized by the sale at the following rates:

(i) Where such amount does not exceed 200 rupees at the rate of one rupee for every 200 rupees or portion of 200 rupees;

(ii) Where such amount exceeds 200 rupees but does not exceed 1,000 rupees, 2 rupees for the first 200 rupees and at the rate of [8][50 naye paise] per every 100 rupees or portion of 100 rupees in excess of 200 rupee;

(iii) Where such amount exceeds 1,000 rupees, six rupees for the first 1,000 rupees and at the rate of one rupee for every 500 rupees or portion of 500 rupees in excess of 1,000 rupees.

1. Subs. by Notification No. 950-RS/I-A-1031 (7)-1958, dated March 18, 1959, and deleted by Notification No. 365/1-A-2-1 (2)-68, dated January 28, 1969.
2. Added by Notification No. 9203 (1)/I-A-463-1952, dated February 11, 1953.
3. Subs. by Notification No. 369/I-A-2-1 (2)-68, dated January 28, 1969.
4. Subs. by Notification No. 1427-RS/I-A-666-1957, dated May 2, 1958.
5. Subs. by Notification No. 196-11-3 (11)—7-3-Rajaswa, dated February 18, 1974 (w.e.f. 16-3-1974).
6. Omitted by Notification No. 196-11-3 (11)-7-3-Rajaswa, dated 18-2-1974.
7. Subs. by Notification No. 196-11-3-(11)-7-3-Rajaswa 1, dated February 18, 1974, w.e.f. March 16, 1974.
8. Subs. by Notification No. 558-SR/I-A-342-D-1957, dated February 16, 1959.

280. [1][निरोपित]

[2][280-क. जब धारा [3][284] के अधीन कोई भूमि पट्टे पर उठा दी जाती तो कलेक्टर रजिस्टरों में आवश्यक नाम परिवर्तन (mutation of names) के लिए आज्ञा जारी करेगा ऐसे नाम परिवर्तन सम्बन्ध में कोई शुल्क देय न होगा।]

अचल सम्पत्ति का विक्रय

281. (1) [4][धारा 284 के अधीन खाते को केवल उसी दशा में नीलाम किया जा सकता है। जब धारा 279 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) में निर्दिष्ट किये हुये प्रसर बकाया की वसूल के लिये अपर्याप्त सिद्ध होंगे।

[5](2) धारा 284 के अधीन किसी खाते के या धारा 286 के अधीन किसी दूसरी अचल सम्पति की बिक्री के निमित्त प्रसर कलेक्टर द्वारा जारी किया जायेगा।

(2-क) किसी खाते के विक्रय की दशा में कलेक्टर, उस खाते का नीलाम 1.26 हेक्टे (2.125 एकड़) से लेकर 5.04 हेक्टेयर (12.50 एकड़) तक के भूमि खण्डों (plots) में उनमें से प्रत्येक के भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुमानित मूल्य निकालने पर घोषित करने के पश्चात् करेगा। यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि केवल ऐसे व्यक्ति नीलाम में बोली बोलें जिनके भूमि-प्राप्ति करने से धारा 154 के निदेशों का उल्लंघन न हो।

(3) [6][* * *]

282. नीलाम की घोषणा ज०वि० आकार-पत्र 74 में किया जाएगा।

[7][283. धारा 286 के अन्तर्गत नीलामी की घोषणा में कलेक्टर वार्षिक मांग की धनराशि और रेवेन्यू मैनुअल के अध्याय 15 में दिये नियमों के अनुसार लगाये गये हिसाब से सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य भी बतायेगा।]

284. (1) यदि भूमि नीलाम के लिये रखी जाये तो नीलाम से प्राप्त होने वाली ऐसी धनराशि पर, जो वसूल की जाने वाली कुल देय धनराशि से अधिक न हो, निम्नलिखित दरों से, प्रत्येक नीलाम के सम्बन्ध में होने वाले व्यय के लिए परिव्यय (charge) लिया जाएगा—

(i) यदि ऐसी धनराशि 200 रु० से अधिक न हो, तो प्रत्येक 100 रु० अथवा उसके किसी अंश के लिये एक रुपया;

(ii) यदि ऐसी धनराशि 200 रु० से अधिक हो, किन्तु 1,000 रु० से अनधिक न हो तो प्रथम 200 रु० के लिए 2 रु० और फिर 200 रु० के ऊपर प्रत्येक 100 रु० के लिये अथवा 100 रु० के अंश के लिये [8][50 पैसे]

(iii) यदि ऐसी धनराशि 1,000 रुपये से अधिक हो तो प्रथम 1,000 रु० के लिये 6 रु० और 1,000 रु० के ऊपर प्रत्येक 500 रु० अथवा उसके अंश के लिये 1 रु०।

1. अधिसूचना संख्या 950-आरएस/आईए-1031 (7)-1958, दिनांक 18 मार्च, 1959 द्वारा प्रतिस्थापित, और
2. अधिसूचना संख्या 365/1-ए-2-1 (2)-68, दिनांक 28 जनवरी, 1969 द्वारा हटा दिया गया।
3. अधिसूचना संख्या 9203 (1)/आईए-463-1952, दिनांक 11 फरवरी, 1953 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिसूचना संख्या 369/आईए-2-1(2)-68 28 जनवरी 1969 की द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना संख्या 1427-आरएस/आईए-666-1957 2 मई 1958 की द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना संख्या 196-11-3 (11)—7-3-राजस्व, दिनांक 18 फरवरी 1974 (16-3-1974 से) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना संख्या 196-11-3 (11)-7-3-राजस्व, दिनांक 18-2-1974 द्वारा छोड़ा गया।
8. अधिसूचना संख्या 196-11-3-(11)-7-3-राजस्व 1, दिनांक 18 फरवरी 1974, द्वारा प्रतिस्थापित। 16 मार्च 1974.
अधिसूचना संख्या 558-एसआर/आईए-342-डी-1957, दिनांक 16 फरवरी, 1959 द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

(2) When immovable property other than the land is put up for sale, a charge shall be levied upon such amount not exceeding the total sum due for recovery as may be realized by the sale at the rate of [three naye paise] per rupee of the sale proceeds, fractions of a rupee being excluded.

(3) When the sale officer goes to any place to conduct a sale and no sale takes place, a charge shall be levied to meet the cost of his deputation according to the following scale :

			Rs. P.
(i)	When the amount for recovery does not exceed Rs. 100	...	1.50
(ii)	When such amount exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs. 1,000	...	3.00
(iii)	When such amount exceeds Rs. 1,000	...	6.00]

[1][285. Whenever any house or other building situated within the limits of a military cantonment or station is sold, the Collector shall as soon as the sale has been confirmed, forward to the Commanding Officer of such cantonment or station for his information, or for record in the brigade or other proper office, a written notice that such sale has taking place, and such notice shall contain full particulars of the property sold and of the name and address of the purchaser.

[1][285-A. Every sale under Sections 284 and 286 shall be made either by the Collector in person or by an Assistant Collector specially appointed by him in this behalf. No such sale shall take place on a Sunday or other gazetted holiday, or until after the expiration of at least thirty days from the date on which the proclamation under Rule 282 was issued. The Collector may from time to time postpone that sale.

[2][285-B. No officer having any duty to perform in connection with any such sale, and no person employed by, or subordinate to such officer shall, either directly or indirectly, bid for, acquire or attempt to acquire the property sold or any interest therein :

Provided that where at any auction under Section 284 no bid is offered up to the amount of the arrear, for which the sale has been ordered, the Collector may bid up to the amount of such arrear.]

285-C. If the defaulter pays the arrears in respect of which the land or other immovable property is to be sold, at any time before the day fixed for the sale, to the person authorized to collect the amount in arrears or to the person appointed under Rule 285-A to conduct the sale, the sale officer, on being satisfied of the payment, shall stay the sale.

1. Subs. by Notification No. 4943/I-A-1059-1954, dated November 16, 1954.
2. Added by Notification No. 4943/I-A-1059-1954, dated November 16, 1954 and substituted by Notification No. 605/Rajaswa-1-2 (8)-75, dated November 1, 1975.

(2) यदि भूमि से भिन्न कोई अचल सम्पत्ति नीलाम के लिये रखी गई हो, तो नीलाम से प्राप्त होने वाली ऐसी धनराशि पर, जो वसूल की जाने वाली कुल देय धनराशि से अधिक न हो, बिक्री से प्राप्त आय पर [3 पैसे] प्रति रुपये के हिसाब से (इसमें आने के अंश सम्मिलित न होंगे) परिव्यय (charge) लिया जायेगा।

(3) यदि नीलामी अधिकारी किसी नीलाम के संचालन के लिये किसी स्थान को जाये, किन्तु नीलाम न हो सके, तो उसके वहाँ आने के व्यय के रूप में निम्नलिखित दर से परिव्यय (charge) लिया जायेगा:—

			रु० पैसे
[(1)	यदि वसूल की जाने वाली धनराशि 100 रु० से अधिक न हो	....	1.50
(2)	यदि ऐसी धनराशि 100 रु० से अधिक हो किन्तु 1,000 रु० से अधिक न हो	....	3.00
(3)	यदि ऐसी धनराशि 1,000 रु० से अधिक हो	....	6.00

[1][285. यदि कोई ऐसा मकान अथवा दूसरी इमारत जो सैनिक कैन्टूनमेंट (military-cantonment) अथवा सैनिक स्टेशन की सीमा के अन्दर स्थित हो, विक्रय की जाये, तो विक्रय की पुष्टि होने के पश्चात् तुरन्त ही कलेक्टर ऐसे स्टेशन अथवा कैन्टूनमेंट के कमांडिंग अफसर के पास उसकी सूचना के लिये अथवा ब्रिगेड या अन्य किसी उपयुक्त कार्यालय में अभिलेख (record) के लिये लिखित नोटिस भेजेगा कि विक्रय हो चुका है, और ऐसे नोटिस में विक्रीत सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा और क्रेता का नाम तथा पता दिया जायेगा।

[1][285-क. धारा 284 और 286 के अधीन प्रत्येक विक्रय या तो स्वयं कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से नियुक्त किये गये किसी असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। ऐसा कोई विक्रय (sale) रविवार को या गजट में विज्ञापित अन्य छुट्टी के दिन या उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि नियम 282 के अधीन जारी की गई घोषणा (proclamation) के दिनांक से कम से कम 30 दिन व्यतीत न हो जायँ। कलेक्टर समय-समय पर विक्रय (sale) को स्थगित कर सकेगा।

[2][285-ख. ऐसे किसी नियम से सम्बद्ध किसी कर्त्तव्य का पालन करने वाला कोई अधिकारी और उक्त अधिकारी द्वारा सेवायोजित या उसके अधीनस्थ कोई व्यक्ति बेची जाने वाली सम्पत्ति या उसके किसी स्वत्व को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्राप्त करने के लिये न तो बोली बोलेगा, न उसे प्राप्त करेगा और न प्राप्त करने का प्रयास करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि धारा 284 के अधीन किसी नीलाम में उस बकाया की धनराशि तक जिसके निमित्त विक्रय की आज्ञा दी गयी है, कोई बोली न बोली जाये तो कलेक्टर उक्त बकाया की धनराशि तक बोली बोल सकता है।

285-ग. यदि बाकीदार ऐसी बकाया, जिसके सम्बन्ध में भूमि या अचल सम्पत्ति बेची जाती है, विक्रय (sale) के लिए निश्चित दिन के पूर्व किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को चुका दे जिसे बकाया की धनराशि वसूल करने का अधिकार मिला हो या ऐसे व्यक्ति को जो नियम 285-क के अधीन विक्रय का संचालन करने के लिये नियुक्त हुआ हो, तो विक्रय अधिकारी यह सन्तोष कर लेने पर कि उक्त रुपये का भुगतान हो गया है विक्रय (sale) को स्थगित कर देगा।]

1. अधिसूचना संख्या 4943/आईए-1059-1954, दिनांक 16 नवंबर, 1954 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या 4943/आईए-1059-1954, दिनांक 16 नवंबर, 1954 द्वारा जोड़ा गया और अधिसूचना संख्या 605/राजस्व-1-2 (8)-75, दिनांक 1 नवंबर, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

[1][285-D. The person declared to be the purchaser shall be required to deposit immediately twenty five per cent of the amount of his bid, and in default of such deposit the land shall forthwith be again put up and sold and such person shall be liable for the expenses attending the first sale and any deficiency of price which may occur on the re-sale which may be recovered from him by the Collector as if same were an arrear of land revenue.]

[2][285-E. The full amount of purchase money shall be paid by the purchaser on or before the fifteenth day from the date of the sale at the district treasury or any sub-treasury and in case of default the deposit, after the expenses of the sale have been defrayed therefrom, shall be forfeited to Government and the property shall be re-sold and the defaulting purchaser shall forfeit all clam to the property, or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.]

[1][285-F. If the proceeds of the sale which is eventually made are less than the price bid by such defaulting purchaser, the difference shall be recoverable from him as if it were an arrear of the revenue.]

[3][285-G. No sale after postponement under Rules 285-A, 285-D or 285-E in default of payment of the purchaser money shall be made until a fresh proclamation has been issued as prescribed for the original sale.]

[4][285-H. (1) Any person whose holding or other immovable property has been sold under the Act may, at any time within thirty days from the date of sale, apply to have the sale set aside on his depositing in the Collectors office—

(a) for payment to the purchaser, a some equal to 5 per cent of the purchase money; and

(b) for payment on account of the arrear, the amount specified in the proclamation in Z.A. Form 74 as that for the recovery of which the sale was ordered, less any amount which may, since the date of such proclamation of sale, have been paid on that account; and

(c) costs of the sale.

On the making of such deposit, the Collector shall pass an order setting aside the sale:

Provided that if a person applies under Rule 285-I to set aside such sale he shall not be entitled to make an application under this rule.

(2) [5][* * *].

[6][285-I. (i) At any time within thirty days from the date of sale, application may be made to the Commissioner to set aside the sale on the ground of some

1. Added by Notification No. 4943/I-A-1059-1954, dated November 8, 1954.
2. Added by Notification No. 4943/1-A-1059-1954, dated November 8, 1954.
3. Subs. by Notification No. 196-11-3 (11)-7-3, Rajaswa-1, dated February 18, 1974 (w.e.f. March 16, 1974). Again substituted by Notification No. U. O. 605/Rajaswa-1-2 (8)-75, dated November 1, 1975.
4. Added by Notification No. 4948/I-A-1059-1954, dated November 15, 1954.
5. Omitted by Notification No. 196-11-3 (11)-7-3, Rajaswa-1, dated February 18, 1974 (w.e.f. March 16, 1974).
6. Subs. by Notification No. 1427-RS/I-A-67-1957, dated May 2, 1958.

[1][285-घ. जो व्यक्ति क्रेता प्रख्यापित किया जाये, उसे अपनी बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत तुरन्त ही जमा कर देना होगा और ऐसा न करने पर उक्त भूमि तुरन्त ही फिर से विक्रय के लिये रखी जायेगी और बेच दी जायेगी, और ऐसा व्यक्ति पहले विक्रय के खर्चे और पुनर्विक्रय के अवसर पर होने वाली भूमि में किसी कमी का देनदार होगा जिसे कलेक्टर उस व्यक्ति से इस प्रकार वसूल कर सकेगा मानो वह मालगुजारी की बकाया हो।]

[2][285-ङ क्रयधन की पूरी धनराशि का भुगतान क्रेता को विक्रय के दिनांक से 15वें दिन या उसके पूर्व जिला खजाना या मातहत खजाना में करना होगा। यदि क्रय धन का भुगतान इस प्रकार से न किया जाये तो क्रेता द्वारा जमा की गई धनराशि उसमें से विक्रय का खर्च निकाल कर सरकार को अपहृत हो जायेगी और उक्त भूमि फिर से बेची जायेगी और विचलित क्रेता उक्त सम्पत्ति के या उस धनराशि के, जिस पर वह तत्पश्चात् बेची जाये, किसी भाग के सम्बन्ध में कोई दावा नहीं कर सकेगा।]

[1][285-च. यदि ऐसे विक्रय से जो अन्ततः किया जाये मिला धन उक्त विचलित क्रेता की बोली की धनराशि से कम हो, तो इन दोनों के अन्तर के बराबर धनराशि क्रेता से इस प्रकार वसूल की जायेगी मानो वह मालगुजारी की बकाया हो।]

[3][285-छ. क्रय धन का भुगतान न होने पर नियम 285-क, 285-घ या 285-ङ के अधीन स्थगित किये जाने के पश्चात् कोई विक्रय उस समय तक नहीं किया जायेगा जब तक कि तत्सम्बन्धी ऐसी घोषणा फिर से जारी न हो जाये जो मूल विक्रय के लिये नियत की गई हो।

[4][285-ज. (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसका खाता या अन्य अचल सम्पत्ति अधिनियम के अधीन बेच दी गई हो, विक्रय के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय विक्रय को निरस्त करने के लिए कलेक्टर के कार्यालय में निम्नलिखित धनराशि जमा करके प्रार्थना-पत्र दे सकता :—

(क) क्रेता को देने के लिये क्रय धन (purchase money) का 5 प्रतिशत;

(ख) बकाया के निमित भुगतान करने के लिये जमींदारी विनाश आकार-पत्र 74 में विक्रय की घोषणा (proclamation) में निर्दिष्ट ऐसी धनराशि जिसकी वसूली के लिए विक्रय की आज्ञा दी गई थी जिसमें से ऐसी कोई धनराशि कम कर दी जावेगी जो उक्त घोषणा के दिनांक के बाद उस सम्बन्ध में 'चुका दी गयी हो; और

(ग) विक्रय सम्बन्धी खर्च

ऐसी धनराशि के जमा हो जाने पर कलेक्टर उक्त विक्रय को निरस्त करने की आज्ञा देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति नियम 285-झ के अधीन ऐसे विक्रय को निरस्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र दे तो उसे इस नियम के अधीन प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार न होगा।

[5][(2) [* * *]

[6][285-झ. (1) विक्रय के दिनांक से तीन दिन के भीतर किसी भी समय विक्रय के प्रकाशन या संचालन में हुई किसी महत्वपूर्ण अनियमितता या अशुद्धि के आधार पर विक्रय को निरस्त करने के लिये कमिश्नर को प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है, किन्तु इस आधार पर उस समय

1. अधिसूचना संख्या 4943/आईए-1059-1954, दिनांक 8 नवंबर, 1954 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना संख्या 4943/1-ए-1059-1954, दिनांक 8 नवंबर, 1954 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना संख्या 196-11-3 (11)-7-3, राजस्व-1, दिनांक 18 फरवरी 1974 (16 मार्च 1974 से) द्वारा प्रतिस्थापित। पुनः अधिसूचना संख्या यू.ओ. 605/राजस्व-1-2 (8)-75, दिनांक 1 नवंबर 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना संख्या 4948/आईए-1059-1954, दिनांक 15 नवंबर, 1954 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना संख्या 196-11-3 (11)-7-3, राजस्व-1, दिनांक 18 फरवरी, 1974 (16 मार्च 1974 से) द्वारा हटाया गया।
6. अधिसूचना संख्या 1427-आरएस/आईए-67-1957, 2 मई 1958 की द्वारा प्रतिस्थापित।

Scanned with OKEN Scanner

material irregularity or mistake in publishing or conducting it; but no sale shall be set aside on such ground unless the applicant proves to the satisfaction of the Commissioner that he has sustained substantial injury by reason of such irregularity or mistake.

(ii) [1][* * *].

(iii) The order of the Commissioner passed under this rule shall be final.

[2][285-J. On the expiration of the thirty days from the date of the sale if no such application as is mentioned in Rule 285-H or Rule 285-I, has been made or if such application has been made and rejected by the Collector or the Commissioner, the Collector shall pass an order confirming the sale after satisfying himself that the purchase of land in question by the bidder would be in contravention of the provisions of Section 154. Every order passed under this rule shall be final.

[3][285-K. If no application under Rule 285-I is made within the time allowed therefor, all claims on the ground of irregularity or mistake in publishing or conducting the sale shall be barred :

Provided nothing contained in this rule shall bar the institution of a suit in the Civil Court for the purpose of setting aside a sale on the ground of fraud.]

[4][285-L. Whenever the sale of any holding or other immovable property is set aside under Rule 285-H or Rule 285-I, the purchaser shall be entitled to receive back his purchase money plus an amount not exceeding 5% of the purchase money as the Collector of the Commissioner, as the case may be may determine].

[5][285-M. (i) After a sale of holding or other immovable property under the Act has been confirmed in the manner aforesaid, the Collector shall put the person declared to be purchaser, into possession of such property, and shall grant him a certificate to the effect that he has purchased the property to which the certificate refers and such certificate shall be deemed to be a valid transfer of such property but need not be registered as a conveyance except as provided by Section 89 of the Registration Act, 1908.

(ii) The certificate shall state the name of the person declared at the time of sale to be actual purchaser and any suit brought or application made in a Civil or Revenue Court against the certified purchaser on the ground that the purchase was made on behalf of another person not the certified purchaser though by agreement the name of the certified purchase was used shall be dismissed with cost.]

[6][285-N. When sale of property under the provisions of Section 286 has been confirmed, the proceeds of the sale shall be applied in the first

1. Deleted by Notification No. 196-11-3 (11)-7-3, Rajaswa, dated February 18, 1974 (w.e.f. March 16, 1974).
2. Subs. by Notification No. 196-11-3 (11)-7-3, Rajaswa-1, dated February 18, 1974 (w.e.f. March 16, 1974).
3. Added by Notification No. 4943/I-A-1059-1954, dated November 16, 1954.
4. Subs. by Notification No. 196-11-3 (11)-7-3, Rajaswa-1, dated February 18, 1974 (w.e.f. March 16, 1974).
5. Added by Notification No. 4943/1-A-1059-1964, dated November 16, 1954.
6. Added by Notification No. 4948/1-A-1059-1954, dated November 16, 1954.

तक विक्रय निरस्त नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रार्थी कमिश्नर के सन्तोष के लिए यह सिद्ध न कर दे कि उसे उक्त अनियमितता या अशुद्धि के कारण ठोस क्षति पहुँची है।

(2) [1][* * *]

(3) इस नियम के अनुसार दी गई कमिश्नर की आज्ञा अन्तिम होगी।

[2][285-ञ. विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर यदि कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र, जिसका उल्लेख नियम 285-ज अथवा नियम 285-झ में दिया गया हो, प्रस्तुत न किया गया हो, अथवा यदि उक्त प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया हो और कलेक्टर अथवा कमिश्नर द्वारा खारिज कर दिया गया हो तो कलेक्टर अपना समाधान करने के पश्चात् कि बोली बोलने वाले द्वारा सम्बन्धित भूमि का क्रय धारा 154 के उपबन्धों के उल्लंघन में न होगा, उक्त विक्रय की पुष्टि की आज्ञा देगा। इस नियम के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा अन्तिम होगी।

[3][285-ट. यदि नियम 285-झ के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र निश्चित समय के भीतर न दिया जाय तो विक्रय के प्रकाशन (publishing) और संचालन (conducting) में हुई किसी अनियमितता या अशुद्धि के आधार पर किये जाने वाले सभी दावे बाधित हो जायेंगे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम में उल्लिखित कोई भी बात छल के आधार पर किसी विक्रय को निरस्त कराने वाले वाद निवेशन (institution) दीवानी न्यायालय में बाधित न करेगी।]

[4][285-ठ. जब किसी खाते या अन्य अंचल सम्पत्ति विक्रय नियम 285-ज या नियम 285-झ के अधीन निरस्त किया जाय, तो क्रेता क्रय धन और क्रय धन के पाँच प्रतिशत तक धनराशि जैसा कलेक्टर अथवा कमिश्नर, जैसी भी दशा हो, निश्चित करे, भी पाने का अधिकारी होगा।

[5][285-ड. (1) अधिनियम के अधीन किसी खाते (holding) या अन्य अचल सम्पत्ति के विक्रय की उपर्युक्त रीति से पुष्टि हो जाने के पश्चात् कलेक्टर उक्त सम्पत्ति पर उस व्यक्ति को जो, क्रेता प्रख्यापित किया गया हो; कब्जा दिलवायेगा और उसको इस आशय का एक प्रमाण पत्र देगा कि उसने वह सम्पत्ति मोल ली है, जिसका उल्लेख प्रमाण पत्र में किया गया है, और ऐसा प्रमाण पत्र उक्त सम्पत्ति का वैध संक्रमण (valid transfer) समझा जायेगा, और उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 89 में की गई है, यह आवश्यक न होगा कि उसका निबन्धन (रजिस्टी) संक्रमणपत्र के रूप में कराया जाय।

(2) प्रमाण पत्र में उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख होगा जो विक्रय के समय वास्तविक क्रेता (actual purchaser) प्रख्यापित किया गया हो और प्रमाणित क्रेता के विरुद्ध इस आधार पर कि क्रय, प्रमाणित क्रेता के बजाय किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया है यद्यपि क्रेता के नाम का उपयोग अनुबन्ध के आधार पर किया गया है, किसी दीवानी या माल के न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ कोई वाद या दिया हुआ कोई प्रार्थनापत्र, वाद व्यय के सहित अस्वीकृत किया जायेगा।

[6][285-ढ. जब धारा 286 के निदेशों के अधीन किसी सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि हो जाय, तो विक्रय मूल्य पहले-पहल विक्रय की पुष्टि के दिनांक पर बाकीदार द्वारा सरकार को देय

1. अधिसूचना संख्या 196-11-3 (11)-7-3, राजस्व, दिनांक 18 फरवरी, 1974 द्वारा (16 मार्च, 1974 से) हटा दिया गया।
2. अधिसूचना संख्या 196-11-3 (11)-7-3, राजस्व-1, दिनांक 18 फरवरी 1974 (16 मार्च 1974 से) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना संख्या 4943/आईए-1059-1954, दिनांक 16 नवंबर, 1954 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिसूचना संख्या 196-11-3 (11)-7-3, राजस्व-1, दिनांक 18 फरवरी 1974 (16 मार्च 1974 से) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना क्रमांक 4943/1-ए-1059-1964, दिनांक 16 नवंबर, 1954 द्वारा जोड़ा गया।
6. अधिसूचना संख्या 4948/1-ए-1059-1954, दिनांक 16 नवंबर, 1954 द्वारा जोड़ा गया।

Scanned with OKEN Scanner

instance to the payment of any arrears, including costs incurred for the recovery thereof, due to the Government for the defaulter at the date of confirmation of the sale, whether the arrears are of revenue of sums recoverable as arrears of revenue; and in the second place if the sale took place for the recovery of an amount recoverable as an arrear of revenue but not due to Government:

to the payment of that amount including cost as aforesaid;

and the surplus, if any shall be paid to the person whose property has been sold; or

if the property sold was held in shares then the co-sharers, collectively, or according to the amount of their recorded interests all the discretion of the Collector.]

286. A register shall be maintained in Z.A. Form 75 for each tahsil and for each description of process, employed during the revenue years showing (1) the serial number of the process, (2) the name of the village, and (3) the name of the person against whose property the process was issued.

A- Preliminary Proceedings

[1][**286-A.** An application made under Section 287 by bhumidhar or sirdar or a person appointed under Section 275, for the recovery of the amount due to him under Section 287, as an arrear of land revenue shall—

(1) contain all particulars necessary for a plaint in a suit for recovery of the arrears from the defaulter;

(2) bear a certificate that the arrears was duly demanded from the defaulter who had failed to discharge it;

(3) be signed and verified like a plant; and

(4) bear and endorsement or an annexure containing a memorandum of the documents, if any filed with the application.]

[2][**286-B.** (1) Where the application under Rule 216-A is not made within the time limit of six months laid down in Section 287 it shall be rejected forthwith.

(2) In case the application, though within the time-limit is not in accordance with the requirements of Rule 286-A, it may be returned for amendment within a time to be fixed by the Collector and if it is again presented within such time after duly amended, the Collector shall proceed in accordance with rule 286-C.]

Note—Under Government Notification No. 1756/I-A-1973-53, dated June 11, 1953, printed on page 699, Part I of the Uttar Pradesh Gazette, dated June 20, 1953, all Assistant Collectors in charge of sub-division (except in the districts of Almora, Garhwal, Tehri-Garhwal and Rampur) have been empowered to

1. Added by Notification No. 2116-RZ/I-A, dated February 3, 1969, read with Corrigendum No. 2216-RS/I- A-(Rev)-B) 1000-XXVII-51, dated July 10, 1959.
2. Added by Notification No. 2116-RZ/I-A, dated February 3, 1969, read with Corrigendum No. 2216-RS/I- A-(Rev)-B) 1000-XXVII-51, dated July 10, 1959.

बकाया के जिसमें वसूल का व्यय भी सम्मिलित है; चाहे ऐसी बकाया मालगुजारी की हो या मालगुजारी की बकाया की तरह वसूली की जाने वाली धनराशियों के, भुगतान के काम में लाया जायेगा, और दूसरे यदि विक्रय ऐसी धनराशियों की वसूली के लिये किया गया हो जो मालगुजारी की बकाया की तरह वसूल होती हो पर सरकार को देय न हो, तो उस धनराशि के, जिसमें उपर्युक्त वाद भी सम्मिलित है,

भुगतान के लिए काम में लाया जायेगा

और शेष धनराशि, यदि कोई हो, उस व्यक्ति को दे दी जायेगी जिसकी सम्पत्ति बेची गई हो, या

यदि विक्रीत सम्पत्ति हिस्सेदारों के संयुक्त स्वामित्व में थी, तो सब हिस्सादारों को सामूहिक रूप से या उनके अभिलिखित स्वत्वों को धनराशि के अनुसार जैसा भी कलेक्टर उचित समझे, दी जायेगी।]

286. ज०वि० आकार-पत्र 75 में प्रत्येक तहसील के लिये तथा राजस्व वर्ष में जारी किये गये प्रत्येक प्रकार के प्रसर के लिये एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दिये जायेंगे—

(1) प्रसर (Process) की क्रम संख्या,

(2) गांव का नाम, और

(3) उस व्यक्ति का नाम, जिसके अथवा जिसकी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रसर जारी किया गया हो।

क- प्रारम्भिक कार्यवाही

[1][**286-क.** किसी भूमिधर, या सीरदार या धारा 275 के अधीन नियुक्त हुये व्यक्ति द्वारा उस धनराशि की, जो उसको धारा 287 के अधीन प्राप्त (due to him) मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली के लिए उक्त धारा 287 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना-पत्र में—

(1) सभी ऐसे ब्यौरे होंगे जो बाकीदार से बकाया की वसूली के लिये किसी वाद के वाद-पत्र में दिए जाने आवश्यक हों।

(2) इस बात का प्रमाण-पत्र होगा कि बाकीदार के बकाया की यथावत मांग की गई थी और वह उसका परिशोध नहीं कर सका;

(3) हस्ताक्षर किये जायेंगे और वह वाद-पत्र की भांति सत्यापित किया जायेगा, और

(4) एक अनुलेख (endorsement) अथवा अनुलग्नक होगा, जिसमें प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किए गये लेखों का यदि कोई हो, विवरण दिया जायेगा।]

[2][**286-ख.** (1) यदि नियम 286-क के अधीन प्रार्थना-पत्र धारा 287 में विहित 6 महीने की कलावधि के अन्दर प्रस्तुत न किया जाय तो वह तुरन्त ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(2) यदि प्रार्थना-पत्र उक्त कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, किन्तु नियम 286-क की आवश्यकताओं के अनुसार न हो तो वह ऐसे समय के भीतर, जो कलेक्टर द्वारा निश्चित किया जाय, संशोधित करने के लिए वापस कर दिया जायेगा और यदि वह यथावत् संशोधित किये जाने के पश्चात् उक्त समय के भीतर पुनः प्रस्तुत किया जाये तो कलेक्टर नियम 286-ग के 'अनुसार कार्यवाही करना आरम्भ करेगा।

टिप्पणी—20 जून, 1953 के सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के भाग 1 में पृष्ठ 698 पर प्रकाशित 11 जून, 1953 की सरकारी विज्ञप्ति सं० 1756/1-अ-1073-53 के अधीन परगनों (अल्मोड़ा, गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल और रामपुर के जिलों को छोड़कर) के अधिकारी सभी असिस्टेंट

1. अधिसूचना संख्या 2116-आरजेड/आईए, दिनांक 3 फरवरी 1969 द्वारा जोड़ा गया, शुद्धिपत्र संख्या 2216-आरएस/आई-ए-(रेव)-बी) 1000-XXVII-51, दिनांक 10 जुलाई 1959 के साथ पढ़ा गया।
2. अधिसूचना संख्या 2116-आरजेड/आईए, दिनांक 3 फरवरी 1969 द्वारा जोड़ा गया, शुद्धिपत्र संख्या 2216-आरएस/आई-ए-(रेव)-बी) 1000-XXVII-51, दिनांक 10 जुलाई 1959 के साथ पढ़ा गया।

Scanned with OKEN Scanner

****171. Arrest and detention.**—(1) Any person committing default in payment of an arrear of land revenue may be arrested and detained in custody in the Tahsil lock-up and if there is no such lock-up, at such other place as may be prescribed, for a period not exceeding fifteen days unless the arrears are sooner paid.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no person shall be liable to arrest or detention for an arrear of land revenue, where and for so long as such person—

[1][(a) is a woman or a minor, or a senior citizen of 65 years or more, or a person as referred to in Section 95 (1)(a);]

(b) belongs to the Armed Forces of the Union;

(c) is exempt under Sections 133, 135 or 135-A of the Code of Civil Procedure, 1908.

(3) No person shall be detained in custody under this section, unless the officer issuing the arrest warrant has reason to believe that the process of detention will compel the payment of the whole or a substantial portion of the arrears.

(4) The officer issuing the arrest warrant may withdraw such warrant if the defaulter pays or undertakes to pay the whole or substantial portion of the arrears and furnishes adequate security therefore.

[2][(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no defaulter shall be arrested, unless the amount sought to be recovered exceeds fifty thousand rupees.]

****172. Attachment and sale of movable property.**—(1) The Sub-Divisional Officer may attach and sell movable properties of the defaulter including agricultural produce.

(2) The following properties shall be exempted from attachment under sub-section (1) and sale under sub-section (5), namely—

(a) the necessary wearing apparel, cooking; vessels, beds and bedding of the defaulter, his wife and children and such personal ornaments as, in accordance with the religious usage, cannot be parted with by any woman;

(b) tools of a village artisan and, if the defaulter is an agriculturist, his implements of husbandry (except an implement driven by mechanical power) and such cattle and seed as may in the opinion of the attaching officer be necessary to enable him to earn his livelihood as such;

(c) articles set apart exclusively for the use of religious worship.

1. Substituted by Section 126 (b) of Uttar Pradesh Act No. 4 of 2016.
2. Inserted by Section 126 (d) of Uttar Pradesh Act No. 4 of 2016.
** w.e.f. dt. 11-2-2016.

****171. गिरफ्तारी और निरोध**—(1) कोई भी व्यक्ति जिसने भू-राजस्व की बकाया का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे तहसील की हवालात में और यदि तहसील में कोई हवालात न हो तो ऐसे अन्य स्थान पर जिसे विहित किया जाये, में पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि तक अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है जब तक कि बकाया का उससे पहले ही भुगतान नहीं कर दिया जाए।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भू-राजस्व के बकाए के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा, जहाँ और जब तक के लिए कि ऐसा व्यक्ति—

[1][(क) स्त्री या अवयस्क हो, या 65 वर्ष या उससे अधिक का वरिष्ठ नागरिक हो या धारा 95 (1) (क) में यथा निर्दिष्ट कोई व्यक्ति हो;]

(ख) संघ के सशस्त्र बल का हो;

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 133, 135 या 135-क के अधीन छूट प्राप्त हो।

(3) इस धारा के अधीन कोई व्यक्ति अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि गिरफ्तारी वारन्ट जारीकर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण न हो कि बकाए की पूर्ण या सारभूत अंश के भुगतान को ऐसे निरुद्ध किया जाना बाध्य करेगा।

(4) गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने वाला अधिकारी ऐसे वारन्ट का समपहरण कर सकता है (वापस ले सकता है) यदि व्यतिक्रमी व्यक्ति सम्पूर्ण बकाए या उसके सारभूत अंश का भुगतान कर देता है या भुगतान करने का वचन देता है और उसके लिए पर्याप्त प्रतिभूति प्रस्तुत करता है।

[2][(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जाएगा, जब वसूली के लिए ईप्सित धनराशि पचास हजार रुपए से अधिक हो।]

****172. जंगम सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री**—(1) उप-ज़िलाधिकारी व्यतिक्रमी की जंगम सम्पत्ति की जिसमें कृषि उपज भी सम्मिलित है, कुर्की और बिक्री कर सकता है।

(2) निम्नलिखित सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन कुर्की और उपधारा (5) के अधीन बिक्री से मुक्त होगी—

(क) व्यतिक्रमी, उसकी पत्नी और उसके बच्चों के आवश्यक परिधान, रसोई के बर्तन, पलंग और बिस्तर और ऐसे व्यक्तिगत आभूषण जिनका धार्मिक प्रथा के अनुसार किसी महिला द्वारा त्याग नहीं किया जा सकता;

(ख) ग्रामीण शिल्पी के औजार और यदि व्यतिक्रमी कृषक हो, तो उसके खेती के उपकरण (यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित उपकरण को छोड़कर) और ऐसे पशु और बीज, जो कुर्की अधिकारी की राय में उसी रूप में उसके जीविकोपार्जन कर सकने के लिए आवश्यक हों;

(ग) धार्मिक उपासना के उपयोग के लिए अनन्य रूप से अलग रखी गयी वस्तुएं।

1. उत्तर प्रदेश 2016 का अधिनियम संख्या 4 की धारा 126 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश 2016 का अधिनियम संख्या 4 की धारा 126 (घ) द्वारा अन्त:स्थापित।
** दिनांक 11-2-2016 से प्रभावी।

Explanation I.—For the purposes of this sub-section, the expression "agriculturist" means a person who cultivates land personally and who depends for his livelihood mainly on the income from agricultural land.

Explanation II.—For the purposes of *Explanation-I* a person shall be deemed to cultivate land personally, if he cultivates land—

(a) by his own labour;

(b) by the labour of any member of his family; or

(c) by servants or labourers on wages payable in cash or in kind or both.

(3) Where any movable property is attached by actual seizure and the defaulter furnishes security to the satisfaction of the attaching officer, the property so attached shall be left in the custody of the defaulter. In case the defaulter is not available at the time of the attachment or if he is available but fails to furnish security to the satisfaction of the attaching officer, the attached property may be left in the custody of any responsible person who is willing to undertake its custody :

Provided that in the case of live-stock, it may be removed to the nearest pound if neither the defaulter furnishes such security nor any responsible person is willing to undertake its custody.

(4) The person who undertakes the custody of any movable property under sub-section (3) shall execute a bond (*supurdnama*) in the prescribed form (which shall be exempt from stamp duty) and shall preserve and maintain such property and produce if whenever required. The *supurdar* shall be liable for all damages or loss caused to the property given in his custody or for failure to produce it when required. Such damages or loss shall be determined by the Sub-Divisional Officer and shall be recoverable from the *supurdar* as arrears of revenue.

(5) If the amount of arrears is not paid within a period of thirty days from the date of attachment of movable properties under this section, the Sub-Divisional Officer may sell the same in the manner prescribed.

****173. Attachment of bank account and locker of the defaulter.—** The attachment of any bank account of the defaulter shall, so far as possible, be made by serving a garnishee order on the manager in charge of the branch of the bank concerned in the manner laid down in Rules 46, 46-A and 46-B of Order XXI, contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, and in the case of a locker hired by the defaulter, the same shall be sealed in the presence of such manager who shall, thereafter, await further orders of the Sub-Divisional Officer regarding preparation of inventory of its contents and their ultimate disposal.

** w.e.f. dt. 11-2-2016.

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, पद ''कृषक'' का तात्पर्य ऐसे उस व्यक्ति से है जो स्वयं भूमि पर खेती करता है और जो अपनी जीविका के लिए मुख्यतया कृषि भूमि से होने वाली आय पर निर्भर रहता है।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह स्वयं भूमि पर खेती करता है, यदि वह—

(क) स्वयं अपने श्रम से,

(ख) अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम से, या

(ग) नकद या वस्तुरूप में या दोनों प्रकार से देय मजदूरी पर सेवकों या श्रमिकों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है।

(3) जहाँ कोई जंगम सम्पत्ति वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्क की जाए और व्यतिक्रमी कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति दे जिससे उसका समाधान हो जाए, वहाँ इस प्रकार कुर्क की गयी सम्पत्ति व्यतिक्रमी की अभिरक्षा में छोड़ दी जायेगी। यदि कुर्की के समय व्यतिक्रमी उपलब्ध न हो या यदि वह उपलब्ध हो किन्तु कुर्क अधिकारी को ऐसी प्रतिभूति देने में विफल हो जिससे उसका समाधान हो जाए तो कुर्क की गयी सम्पत्ति किसी ऐसे उत्तरदायी व्यक्ति की अभिरक्षा में छोड़ी जा सकती है जो उसकी अभिरक्षा का भार लेने को इच्छुक हो :

परन्तु पशुधन की स्थिति में, उसे निकटतम कांजी हाउस में ले जाया जा सकता है यदि न तो व्यतिक्रमी ऐसी प्रतिभूति देता है और न कोई उत्तरदायी व्यक्ति उसकी अभिरक्षा का भार लेने का इच्छुक हो।

(4) ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (3) के अधीन किसी जंगम सम्पत्ति की अभिरक्षा का भार लेता है, विहित प्रपत्र में एक बन्धपत्र (सुपुर्दनामा) (जो स्टाम्प शुल्क से मुक्त होगा) निष्पादित करेगा और ऐसी सम्पत्ति का परिरक्षण और अनुरक्षण करेगा और जहां कहीं अपेक्षित हो उसे प्रस्तुत करेगा। सुपुर्ददार उसकी अभिरक्षा में दी गयी सम्पत्ति की समस्त क्षति या हानि या आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत करने में असफलता के लिए दायी होगा। ऐसी क्षतियों या हानि का अवधारण उप-ज़िलाधिकारी द्वारा किया जायेगा और वे सुपुर्ददार से भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल किए जा सकेंगे।

(5) यदि इस धारा के अधीन स्थावर सम्पत्ति की कुर्की के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर बकाये की धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उप-ज़िलाधिकारी विहित रीति से उसका विक्रय कर सकता है।

****173. व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लॉकर की कुर्की—** व्यतिक्रमी के किसी बैंक खाते की कुर्की, जहाँ तक सम्भव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में दिए गए आदेश 21 के नियम 46, 46-क तथा 46-ख में अधिकथित रीति से सम्बन्धित बैंक के शाखा के प्रभारी प्रबन्धक को अनुत्रृणी आदेश को तामील करके की जाए और व्यतिक्रमी द्वारा किराए पर लिए गए लॉकर की दशा में उसे ऐसे प्रबन्धक की उपस्थिति में सील किया जाएगा जो कि तत्पश्चात् उसके संघटकों की सूची की तैयारी और उनके अन्ततः निस्तारण के सम्बन्ध में उप-ज़िलाधिकारी के अग्रेतर आदेशों की प्रतीक्षा करेगा।

** दिनांक 11-2-2016 से प्रभावी।

174. Attachment of holding.—(1) The Collector may attach any land in respect of which any arrears of land revenue is due.

(2) Where the amount of arrears in respect of which attachment was made under sub-section (1) is paid, such attachment shall stand withdrawn.

(3) If the amount of arrears is not paid within a period of thirty days from the date of such attachment, the Collector may proceed in accordance with the provisions of Section 175 or Section 176, as the case may be.

175. Lease of holding.—(1) Where any land is attached under Section 174 the Collector may, notwithstanding anything contained in this Code but subject to such conditions as may be prescribed, let out the same for such period not exceeding ten years (commencing from the first day of July next following) as he deems fit, to any person other than the defaulter.

(2) The person to whom any land is let out under sub-section (1) shall be bound to pay the whole of the arrears due in respect of such land and to pay the land revenue, during the period of lease, at the rate payable by defaulter in respect of such land immediately preceding its attachment.

(3) If during the period of lease, the lessee commits default in payment of any amount due under the lease, and no other person is to take the land on lease for the remaining period thereof then such amount may be recovered from such lessee by anyone or more of the processes mentioned in Section 170 and the lease shall be liable to be determined.

(4) Upon the expiry of the period of lease, the land shall be restored to the tenure-holder concerned free of any claim on the part of the State Government for any arrear of revenue in respect of such land.

176. Sale of holding.—(1) Where a suitable person is not forthcoming to take on lease the land attached under Section 174, or where the lease of such land is determined under Section 175, the Collector may sell the whole or any part of such land in such manner as may be prescribed appropriate the sale proceeds in accordance with Section 200.

(2) The Collector shall report to the Board of Revenue every sale of land under sub-section (1).

177. Attachment and sale of other immovable property.—Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Collector may realize any arrears of land revenue by attachment and sale of the interest of a defaulter in any other immovable property belonging to such defaulter :

** w.e.f. dt. 11-2-2016.

174. जोत की कुर्की—(1) कलेक्टर किसी ऐसी भूमि की जिसके सम्बन्ध में भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, कुर्की कर सकता है।

(2) जहाँ बकाया की धनराशि का जिसके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कुर्की की गयी हो भुगतान कर दिया जाय, वहाँ ऐसी कुर्की को प्रत्याहृत समझा जाएगा

(3) यदि बकाया की धनराशि का भुगतान ऐसी कुर्की के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर नहीं किया जाए तो कलेक्टर, यथा-स्थिति, धारा 175 या धारा 176 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

175. जोत का पट्टा—(1) जहाँ कोई भूमि धारा 174 के अधीन कुर्क की जाय, वहाँ कलेक्टर संहिता में किसी बात के होते हुए भी किन्तु ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें विहित किया जाय, ठीक अगामी जुलाई के प्रथम दिनांक से दस वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई भूमि पट्टे पर दी जाय, ऐसी भूमि पर देय सम्पूर्ण बकाया का भुगतान करने और पट्टे की अवधि के दौरान भू-राजस्व उस दर से, जो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उसकी कुर्की किए जाने के ठीक पूर्व व्यतिक्रमी द्वारा देय रही हो, भुगतान करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) यदि पट्टे की अवधि में, पट्टेदार पट्टे के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में व्यतिक्रम करे और उसके बाकी अवधि तक पट्टे पर भूमि किसी अन्य व्यक्ति को न लेना हो तो उससे ऐसी धनराशि धारा 170 में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं से वसूल की जा सकती है और पट्टा भी समाप्त किया जा सकेगा।

(4) पट्टे की अवधि समाप्त होने पर, भूमि सम्बद्ध खातेदार को ऐसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व की किसी बकाया के लिए राज्य सरकार की ओर से किसी भी दावे से मुक्त, वापस कर दी जाएगी।

176. जोत की बिक्री—(1) जहाँ कोई उपयुक्त व्यक्ति धारा 174 के अधीन कुर्क की गयी भूमि को पट्टे पर लेने के लिए तैयार नहीं हो या जहाँ किसी ऐसी भूमि का पट्टा धारा 175 के अधीन समाप्त किया जाता है वहाँ कलेक्टर ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को विहित रीति से बेच सकता है, और धारा 200 के अनुसार विक्रय आगम का प्रयोग कर सकता है।

(2) कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन भूमि की प्रत्येक बिक्री की रिपोर्ट राजस्व परिषद को करेगा।

177. अन्य स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर भू-राजस्व की किसी बकाया को ऐसे व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर सम्पत्ति में व्यतिक्रमी के हित की कुर्की और बिक्री करके वसूली कर सकता है :

** दिनांक 11-2-2016 से प्रभावी।

Provided that the house or other building (with materials and sites thereof) and the land immediately appurtenant thereto belonging to agriculturist and occupied by him shall be exempted from attachment under this section.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression 'agriculturits' shall have the meaning assigned to it in Section 172.

"178. Appointment of receiver.—(1) Where any arrear of land revenue is due from any defaulter, the Collector may by order—

(a) appoint, for such period as he may deem fit, a receiver of any movable or immovable property of the defaulter;

(b) remove any person from the possession or custody of the property and commit the same to the possession, custody or management of the receiver;

(c) confer upon the receiver all such powers as to bringing and defending suits and for the realization, management, protection, preservation and improvement of the property, the collection of the rents and profits thereof, the application and disposal of such rents and profits and the execution of documents, as the defaulter himself has, or such those powers as the Collector thinks fit.

(2) Nothing in this section shall authorise the Collector to remove from the possession or custody of property any person to whom the defaulter has not a present right to remove.

(3) The Collector may, from time-to-time, extend the duration of appointment of the receiver.

(4) No order under sub-section (1) or sub-section (3) shall be made except after giving notice to the defaulter to show cause, and after considering any representation that may be received by the Collector in response to such notice :

Provided that an interim order under sub-section (1) or sub-section (3) may be made at any time before or after the issue of such notice :

Provided for the, that where an interim order is made before the issue of such notice, the order shall stand vacated, if no notice is issued within two weeks from the date of the interim order.

(5) The provision of Rules 2 to 4 of Order 40 contained in the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 shall *mutatis mutandis* apply in relation to a receiver appointed under this section.

(6) The receiver shall function subject to the control of Collector and furnish such information, returns or statements as the Collector may deem fit.

(7) The Collector may by order passed in writing and without assigning any reason, remove any receiver at any time before the expiry of

परन्तु यह कि किसी कृषक का मकान या अन्य भवन (उसकी सामग्री एवं स्थल सहित) और उससे एकदम संलग्न भूमि, जो उसके द्वारा अध्यासित हो, इस धारा के अधीन कुर्की से मुक्त होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ "कृषक" का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 172 में दिया गया है।

"178. नियुक्ति पाने वाले की—(1) जहाँ किसी व्यतिक्रमी से भू-राजस्व की कोई बकाया देय हो, वहाँ कलेक्टर आदेश द्वारा—

(क) व्यतिक्रमी की किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे, पाने वाला नियुक्त कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति को सम्पत्ति के कब्जे या उसकी अभिरक्षा से हटा सकता है और उस भूमि को पाने वाला के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबन्ध में दे सकता है;

(ग) पाने वाला को वाद प्रस्तुत करने और उनका प्रतिवाद करने, सम्पत्ति की वसूली, प्रबन्ध, संरक्षण, परिरक्षण और सुधार करने, उसका लगान और लाभ का संग्रह करने, ऐसे लगान और लाभ का उपयोग और निस्तारण करने और दस्तावेजों का निष्पादन करने की ऐसी सभी शक्तियाँ प्रदान कर सकता है जो ऐसे व्यतिक्रमी के पास हो, या उनमें से ऐसी किन्हीं शक्तियों को प्रदान कर सकता है जिसे कलेक्टर उचित समझे।

(2) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे हटाने का वर्तमान अधिकार व्यतिक्रमी को नहीं हो, सम्पत्ति के कब्जे या अभिरक्षा से हटाने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत नहीं करेगी।

(3) कलेक्टर समय-समय पर पाने वाला की नियुक्ति की कालावधि बढ़ा सकता है।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यतिक्रमी को कारण बताने का सूचना न दे दिया जाए और ऐसे अभ्यावेदन पर, जो ऐसे सूचना के प्रत्युत्तर में कलेक्टर द्वारा प्राप्त हो, विचार नहीं कर लिया जाए :

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश, ऐसी सूचना के जारी किए जाने के पहले या बाद में किसी भी समय किया जा सकता है :

परन्तु अग्रेतर यह कि जहाँ ऐसी सूचना जारी किए जाने के पूर्व कोई अन्तरिम आदेश किया जाता है तो अन्तरिम आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कोई सूचना जारी न किए जाने पर ऐसा आदेश निरस्त हो जाएगा

(5) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में दिए गए आदेश 40 के नियम 2 से 4 के उबपन्ध यथा-आवश्यक परिवर्तनों सहित इस धारा के अधीन नियुक्त पाने वाला के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(6) पाने वाला, कलेक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए कार्य करेगा और ऐसी सूचना, विवरणी या विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसे कलेक्टर उचित समझे।

(7) कलेक्टर लिखित आदेश से और कोई कारण बताए बिना किसी पाने वाला को ऐसे पाने वाला का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व हटा सकता है और उसके स्थान पर कोई

(2) Where any person has become surety for the amount due from the defaulter, he may be proceeded against under this Chapter as if he were himself the defaulter.

Attachment and sale of immovable properties

****182. Attachment of immovable property.**—(1) Every process of attachment of any immovable property under Section 174 or Section 177 or for lease of any land under Section 175 shall be issued by the Collector.

(2) Every such attachment shall be effected in the manner prescribed in Order XXI, Rule 54 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908.

****183. Objection against attachment.**—(1) Where any claim is preferred by any person other than the defaulter or any person claiming under him in respect of any property attached under this Chapter, the Collector may, after an inquiry, held after reasonable notice, admit or reject such claim :

Provided that no such claim shall be entertained—

(a) where, before the claim is preferred, the property attached has already been sold; or

(b) where the Collector considers that the claim is designedly or unnecessarily delayed; or

(c) where the claim is preferred after 30 days from the date of attachment.

(2) The person against whom an order is made under sub-section (1) may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal before the Commissioner to establish the right which he claims to the property attached but subject to the result of such appeal, if any, the order of the Collector shall be final.

****184. Proclamation of sale.**—(1) Where any immovable property is sought to be sold under the provisions of this Chapter, the Collector or an Assistant Collector authorised by him, shall issue a proclamation of the intended sale in the form prescribed specifying therein—

(a) the details of the property sought to be sold;

(b) the estimated value, reserve price and circle rate of such property;

(c) the land revenue, if any, payable therefor;

(d) the encumbrances, if any;

(e) the amount of arrears for the recovery of which property is sought to be sold;

(f) the date, time and place of the intended sale; and

(g) such other particulars as the Collector may think necessary.

** w.e.f. dt. 11-2-2016.

(2) जहाँ इस अध्याय के अधीन कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी द्वारा देय धनराशि के लिए प्रतिभू हुआ हो, वहाँ इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है मानो वह स्वयं व्यतिक्रमी हो।

स्थावर सम्पत्तियों की कुर्की और विक्रय

****182. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की**—(1) धारा 174 या धारा 177 के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति की कुर्की या धारा 175 के अधीन किसी भूमि को पट्टे पर देने की प्रत्येक आदेशिका कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी।

(2) ऐसी प्रत्येक कुर्की, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 के नियम 54 में विहित रीति से कार्यान्वित की जाएगी।

****183. कुर्की के विरुद्ध आपत्ति**—(1) जहाँ कोई दावा, इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सम्बन्ध में व्यतिक्रमी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा या उसके अधीन दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है तो कलेक्टर जाँच के पश्चात् ऐसे दावा को समुचित सूचना के पश्चात् स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है :

परन्तु ऐसे किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा—

(क) जहाँ दावा किए जाने के पूर्व कुर्क की गयी सम्पत्ति का पहले ही विक्रय किया जा चुका हो; या

(ख) जहाँ कलेक्टर का यह विचार हो कि दावे को सोच समझकर या अनावश्यक रूप से विलम्बित किया गया है; या

(ग) जहाँ कुर्की के दिनांक से 30 दिनों के पश्चात् दावा प्रस्तुत किया गया है।

(2) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन आदेश किया गया हो, आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर ऐसे अधिकार, जिसका वह कुर्क की गयी सम्पत्ति के लिए दावा करता है, को स्थापित करने के लिए आयुक्त के यहाँ अपील प्रस्तुत कर सकता है किन्तु ऐसी अपील, यदि कोई हो, के परिणाम के अध्यधीन कलेक्टर का आदेश अन्तिम होगा।

****184. विक्रय की उद्घोषणा**—(1) जहाँ इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो वहाँ कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सहायक कलेक्टर विहित प्रपत्र में निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित विक्रय की उद्घोषणा जारी करेगा—

(क) विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित सम्पत्ति का विवरण;

(ख) ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य, रक्षित मूल्य और क्षेत्र दर;

(ग) तद्निमित्त सन्देय भू-राजस्व, यदि कोई हो;

(घ) विल्लंगम, यदि कोई हो;

(ङ) बकायों की धनराशि जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया जाना ईप्सित हो;

(च) आशयित विक्रय का दिनांक, समय और स्थान; और

(छ) ऐसे अन्य विवरण जिन्हें कि कलेक्टर आवश्यक समझे।

** दिनांक 11-2-2016 से प्रभावी।

(2) Where the area of the land sought to be sold exceeds 5.0586 hectares, a single proclamation may be issued under sub-section (1), but the actual sale shall be made in lots of 1.26 hectares or more.

(3) No sale shall take place until the expiry of twenty-one days from the date on which the proclamation is issued under this section.

(4) A copy of the proclamation shall be served on the defaulter.

****185. Affixation of proclamation.**—A copy of the sale proclamation referred to in Section 184 shall be affixed in each of the following places :

(a) the office of the Collector;

(b) the office of the Tahsildar of the tahsil in which the property is situate;

(c) some other public building in the village or the area in which the property is situate;

(d) the dwelling house of the defaulter.

****186. Sale when and by whom made.**—(1) Every such sale shall be made by the Collector or by the Assistant Collector authorised by him.

(2) No sale shall take place on a Sunday or other holiday notified for State Government Offices.

(3) The Collector or the Assistant Collector may, from time to time, postpone the sale for any sufficient reason.

(4) Where a sale is postponed for a period longer than twenty-one days, or where the property is resold for default in payment of the purchase money, a fresh proclamation shall be issued in the form prescribed for the original sale.

****187. Stoppage of the sale.**—If the defaulter pays the arrears in respect of which the property is to be sold together with the cost of the process at any time before the date fixed for the sale, the officer conducting the sale shall stop such sale.

****188. Prohibition to bid.**—(1) No officer having any duty to perform in connection with any such sale and no person employed by or subordinate to such officer shall, directly or indirectly, bid for or acquire or attempt to acquire the property sold or any interest therein.

(2) Where no bid is offered up to the amount for which the sale has been ordered, the Collector may order for bid up to the amount of such arrears.

****189. Deposit by purchaser and re-sale on default.**—(1) The person declared to be the purchaser shall be required to deposit immediately twenty five per cent of the amount of his bid, and in default of such deposit, the property shall be forthwith re-sold, and such person shall be

** w.e.f. dt. 11-2-2016.

(2) जहाँ विक्रय किए जाने हेतु ईप्सित भूमि का क्षेत्रफल 5.0586 हेक्टेयर हो वहाँ उपधारा (1) के अधीन एकल उद्घोषणा जारी की जा सकती है किन्तु वास्तविक विक्रय 1.26 हेक्टेयर या उससे अधिक के समूहों में किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई विक्रय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे दिनांक, जिस पर इस धारा के अधीन उद्घोषणा जारी की जाती है, से इक्कीस दिन का समय समाप्त नहीं हो जाता है।

(4) उद्घोषणा की एक प्रति व्यतिक्रमी को तामील करायी जाएगी।

****185. उद्घोषणा का चिपकाया जाना**—धारा 184 में निर्दिष्ट विक्रय उद्घोषणा की प्रति निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर चिपकायी जाएगी—

(क) कलेक्टर का कार्यालय;

(ख) तहसील, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, के तहसीलदार का कार्यालय;

(ग) ग्राम या क्षेत्र जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, में कोई अन्य सार्वजनिक भवन;

(घ) व्यतिक्रमी का निवास-गृह।

****186. विक्रय कब और किसके द्वारा किया जाय**—(1) ऐसा प्रत्येक विक्रय, कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

(2) कोई विक्रय रविवार या राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए अधिसूचित अन्य अवकाश दिवस में नहीं किया जाएगा।

(3) कलेक्टर या सहायक कलेक्टर किसी पर्याप्त कारण से समय-समय पर विक्रय को स्थगित कर सकते हैं।

(4) जहाँ किसी विक्रय को इक्कीस दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित किया गया हो या जहाँ क्रय धन के भुगतान में व्यतिक्रम के कारण सम्पत्ति का पुन: विक्रय किया जाना है तो मूल विक्रय के लिए विहित प्रपत्र में नयी उद्घोषणा निर्गत की जाएगी।

****187. विक्रय को रोका जाना**—यदि व्यतिक्रमी ऐसी सम्पत्ति, जिसका विक्रय किया जाना है, के सम्बन्ध में विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व किसी भी समय प्रक्रिया की लागत सहित बकाये का भुगतान कर देता है तो विक्रय को संचालित करने वाला अधिकारी ऐसे विक्रय को रोक देगा।

****188. बोली लगाने का निषेध**—(1) कोई अधिकारी जो ऐसे किसी विक्रय के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य निष्पादित कर रहा है और ऐसे अधिकारी द्वारा नियोजित या अधीनस्थ कोई व्यक्ति; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रय की गयी सम्पत्ति, अथवा उससे सम्बन्धित किसी हित के लिए बोली नहीं लगाएगा या उसको अर्जित नहीं करेगा या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा।

(2) जहाँ ऐसी धनराशि तक, जिसके लिए विक्रय का आदेश दिया गया हो, कोई बोली नहीं लगायी गयी है तो कलेक्टर ऐसी धनराशि के अवशेष तक की बोली लगाने के लिए आदेश दे सकता है।

****189. क्रेता द्वारा राशि का जमा किया जाना और व्यतिक्रम पर पुन: विक्रय**—(1) क्रेता घोषित किए गए व्यक्ति से उसकी बोली की धनराशि का पचीस प्रतिशत तुरन्त जमा करने की अपेक्षा की जायेगी, और ऐसी धनराशि जमा करने में व्यतिक्रम होने पर सम्पत्ति तत्काल पुन: विक्रय कर दी जायेगी और ऐसा व्यक्ति प्रथम विक्रय में उपगत व्ययों और पुन:

** दिनांक 11-2-2016 से प्रभावी।

liable for the expenses incurred on the first sale and any dificiency in price occurring on re-sale, and the same may be recovered from him by the Collector as if the same were an arrear of land revenue.

(2) A deposit under sub-section (1) may be made either in cash or by a demand draft (issued by a scheduled bank) or partly in cash and partly by such draft.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression 'demand draft' includes a banker's cheque.

****190. Deposit of purchase money.**—The balance amount of the purchase money shall be paid by the purchaser on or before the fifteenth day from the date of the sale in the office of the Collector or at the district treasury or sub-treasury, and in case of default—

(a) the property shall be re-sold; and

(b) the deposit made under Section 189 shall be forfeited to the State Government.

****191. Auction-sale of land held by Scheduled Caste or Scheduled Tribe.**—Where the right, title or interest of a person belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in any land is sold by public auction under or in accordance with the provisions of this Code, and any other person belonging to such caste or tribe pays an amount equal to the amount of the highest bid and a sum equal to one per cent amount of the purchase money for payment to the purchaser within a period of thirty days from the date of such auction, then, notwithstanding anything contained in any other provision of this Code or any other law for the time being in force, the person so offering the amount shall be entitled to preference in the matter of sale over and above any person not belonging to such caste or tribe :

Provided that if there are more persons than one making such deposit, bids shall be called from them on the spot, and the highest bidder shall be entitled to such preference :

[1][Provided further that where the auction sale in favour of highest bidder is not confirmed due to the preference under this section, he shall be entitled to receive back the money deposited by him plus an amount equivalent to one percent of such money deposited for the purpose.]

****192. Application to set aside sale on deposit of arrears.**—(1) Any person whose holding or other immovable property has been sold under this Chapter may, at any time within thirty days from the date of sale, apply to the Collector for setting aside the sale, on his depositing, in the office of the Collector or at the district treasury or sub-treasury—

1. Inserted by Section 145 (b) of Uttar Pradesh Act No. 4 of 2016.
** w.e.f. dt. 11-2-2016.

विक्रय पर मूल्य में होने वाली किसी कमी का दायी होगा और कलेक्टर द्वारा इसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई जमा या तो नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा (किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत) या अंशत: नगद और अंशत: ऐसे ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद 'डिमाण्ड ड्राफ्ट' में बैंकर्स चेक भी है।

****190. क्रय धन का जमा किया जाना**—क्रय धन की शेष धनराशि क्रेता द्वारा विक्रय के दिनांक से पन्द्रहवें दिन पर या इसके पूर्व कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप-कोषागार में जमा की जायेगी और व्यतिक्रम करने पर—

(क) सम्पत्ति का पुन: विक्रय कर दिया जाएगा, और

(ख) धारा 189 के अधीन जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी।

****191. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा धृत भूमि का नीलामी विक्रय**—जहाँ किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का किसी भूमि में अधिकार, हक या हित इस संहिता के उपबन्धों के अधीन या के अनुसार सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है और ऐसी जाति या जनजाति का कोई अन्य व्यक्ति ऐसी नीलामी के तीस दिन के भीतर अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि और क्रेता को भुगतान करने के लिए क्रयधन के एक प्रतिशत के बराबर की धनराशि का भुगतान करता है तो इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, ऐसी धनराशि देने वाला व्यक्ति विक्रय के मामले में ऐसे व्यक्ति से, जो ऐसी जाति या जनजाति का न हो, अधिक वरीयता पाने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि यदि ऐसा जमा करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति है तो मौके पर ही उनमें से बोली लगवायी जाएगी ओर अधिकतम बोली लगाने वाला ऐसी वरीयता का हकदार होगा :

[1][परन्तु यह और कि जहाँ पर अधिकतम बोली वाले व्यक्ति के पक्ष में, इस धारा के अन्तर्गत अधिमानता के कारण, पुष्टि नहीं हो पाती है, वह अपने द्वारा जमा की हुई धनराशि एवं उस प्रयोजन के लिए जमा की हुई ऐसी धनराशि के एक प्रतिशत की धनराशि को वापस प्राप्त करने का हकदार होगा।]

****192. बकाये को जमा करने पर विक्रय को अपास्त करने का आवेदन**—(1) कोई व्यक्ति, जिसकी जोत या स्थावर सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन विक्रय कर दी गयी हो, विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय विक्रय को अपास्त करने के लिए कलेक्टर को निम्नलिखित धनराशि कलेक्टर के कार्यालय में या जिला कोषागार या उप-कोषागार में जमा करके आवेदन कर सकता है—

1. उत्तर प्रदेश 2016 का अधिनियम संख्या 4 की धारा 145 (ख) द्वारा अन्त:स्थापित।
** दिनांक 11-2-2016 से प्रभावी।

(a) for payment to the purchaser, a sum equal to one percent of the purchase money; and

(b) for payment on account of the arrear, the amount specified in the sale proclamation, less any amount which may, since the date of such proclamation, have been paid on account;

(c) the cost of the processes of sale including the collection charges, if any.

(2) If the amount has been deposited in accordance with sub-section (1) the Collector shall set aside the sale.

(3) Where a person has applied for setting aside the sale under this section, he shall not be entitled to make or prosecute an application under Section 193.

****193. Application to set aside sale for irregularity.**—(1) At any time within thirty days from the date of sale, the defaulter or the auction purchaser or any other person whose interests are affected by such sale, may apply to the Commissioner to set aside the sale on the ground of any material irregularity or mistake in publishing or conducting it.

(2) No sale shall be set aside under sub-section (1), unless the applicant proves to the satisfaction of the Commissioner that he has sustained substantial injury by reason of such irregularity or mistake.

(3) Subject to review in the Revenue Board the order of the Commissioner under this section shall be final.

****194. Confirmation of sale.**—(1) On the expiration of thirty days from the date of sale, if no application is made under Section 192 or Section 193, or if such application has been made and rejected by the Collector or the Commissioner, as the case may be, the Collector shall, subject to the provisions of sub-section (2), confirm the sale.

(2) Where in a sale of immovable property made under this Chapter, the amount of purchase money—

(a) exceeds rupees fifty lakh; or

(b) [1][is less than the reserve price or the amount of arrears specified in the sale proclamation,]

then the Collector shall report the matter to the Commissioner, who may confirm the sale or may pass such order as he thinks fit.

(3) Every order of the Collector or the Commissioner under this section shall be final.

****195. Setting aside of sale by Collector or Commissioner.**—Notwithstanding anything contained in Section 192, Section 193 and Section 194, if the Collector or the Commissioner, as the case may be, has reason to believe that the sale of an immovable property made under this

** w.e.f. dt. 11-2-2016.

1. Substituted by Section 146 (b) (ii) of Uttar Pradesh Act No. 4 of 2016.

(क) क्रेता को क्रय धन के एक प्रतिशत के बराबर की धनराशि का भुगतान करने के लिए; और

(ख) अवशेष के मद्दे भुगतान करने के लिए, विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट धनराशि में से ऐसी किसी धनराशि को घटाकर जो ऐसी उद्घोषणा के दिनांक से उसी मद्दे भुगतान की गयी हो;

(ग) विक्रय की प्रक्रियाओं की लागत जिसमें संग्रहण प्रभार भी है, यदि कोई हो।

(2) यदि उपधारा (1) के अनुसार धनराशि जमा की गयी है तो कलेक्टर विक्रय को अपास्त कर देगा।

(3) जहाँ किसी व्यक्ति ने इस धारा के अधीन विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन किया हो वहां वह धारा 193 के अधीन आवेदन करने या आवेदन के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।

****193. अनियमितता के लिए विक्रय को अपास्त करने का आवेदन**—(1) विक्रय दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय, व्यतिक्रमी या नीलामी क्रेता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका हित ऐसे विक्रय से प्रभावित हो रहा हो, ऐसे विक्रय में किसी तथ्यपरक अनियमितता या उसे प्रकाशित करने या संचालित करने में किसी त्रुटि के आधार पर उस विक्रय को अपास्त करने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी बिक्री तब तक अपास्त नहीं की जायेगी जब तक कि आवेदक आयुक्त को समाधानप्रद रूप में सिद्ध नहीं कर देता है कि उसे ऐसी अनियमितता या त्रुटि के कारण सारवान क्षति हुई है।

(3) राजस्व परिषद में पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

****194. विक्रय की पुष्टि**—(1) यदि विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर धारा 192 या 193 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसा आवेदन किया गया हो और उसे यथा-स्थिति, आयुक्त या कलेक्टर द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो तो कलेक्टर उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विक्रय की पुष्टि कर देगा।

(2) जहाँ इस अध्याय के अधीन स्थावर सम्पत्ति के किए गए विक्रय में, क्रय धन की धनराशि—

(क) पचास लाख रुपये से अधिक है; या

(ख) [1][ऐसी सम्पत्ति के रक्षित मूल्य अथवा विक्रय उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया की धनराशि से कम हो,]

तो कलेक्टर मामले को आयुक्त को रिपोर्ट करेगा जो विक्रय की पुष्टि कर सकता है या ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे।

(3) इस धारा के अधीन कलेक्टर या आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

****195. कलेक्टर या आयुक्त द्वारा विक्रय को अपास्त किया जाना**—धारा 192, धारा 193 या 194 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कलेक्टर या आयुक्त जैसी भी स्थिति हो, को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो नीलामी क्रेता को कारण, यदि कोई है, बताने की

** दिनांक 11-2-2016 से प्रभावी।

1. उत्तर प्रदेश 2016 का अधिनियम संख्या 4 की धारा 148 (ख) (ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

Chapter ought to be set aside he may, after notice to the auction-purchaser to show cause, if any, set aside the sale for the reasons to be recorded in writing.

196. Bar of claims against in certain cases.—If no application under Section 193 is made within the time specified therein, all claims regarding irregularity or mistake in publishing or conducting the sale shall be barred.

197. Refund of purchase money.—Where the sale of any property is set aside under Section 192 or Section 193, the purchaser shall be entitled to receive back his purchase money, plus, in the case mentioned in Section 192, an amount equivalent to one percent of such money deposited for that purpose by the defaulter.

198. Certificate of sale.—(1) After a sale has been confirmed in accordance with Section 194, the Collector shall grant to the purchaser a certificate, in the form prescribed, specifying the property sold and the name of the person who at the time of sale was declared to be its purchaser.

(2) The certificate, duly signed and sealed by the Collector shall be deemed to be a valid transfer of the property specified therein, and it need not be registered as a conveyance, except as provided in Section 89 of the Indian Registration Act, 1908.

(3) The property specified in the certificate shall be deemed to have vested in the purchaser on the date when it was sold, and not on the date when the sale was confirmed.

199. Certified purchaser to be put in possession.—(1) The Collector shall put the person declared to be the purchaser of such property into possession, and for that purpose, he may use or cause to be used such force as may be necessary.

(2) Nothing in this section shall authorise the Collector to remove from the possession of any property any person whom the defaulter had, before the issue of process, no present right to remove.

200. Application of sale proceeds.—Where the sale of a property has been confirmed under Section 194, the proceeds of the sale shall be utilized in the following order—

(a) for meeting the cost of the process and the collection charges, if any;

(b) for payment of the arrears for the recovery whereof the property was sold;

(c) the balance, if any, shall be paid to the defaulter.

201. Summary ejectment of unauthorised occupants.—Any person taking or retaining possession of any land or other property

** w.e.f. dt. 11-2-2016.

सूचना देते हुए उस विक्रय को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों पर अपास्त कर सकता है।

196. कतिपय मामलों के विरुद्ध दावों का वर्जन—यदि धारा 193 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है तो विक्रय को प्रकाशित करने या संचालित करने में अनियमितता या त्रुटि से सम्बन्धित सभी दावे वर्जित हो जाएंगे।

197. क्रय धन का प्रतिदाय—जहाँ धारा 192 या धारा 193 के अधीन कोई विक्रय अपास्त कर दिया जाता है, क्रेता धारा 192 में उल्लिखित मामले में व्यतिक्रमी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जमा की गयी ऐसी धनराशि के एक प्रतिशत के बराबर धनराशि सहित, अपने क्रय धन को वापस पाने का हकदार होगा।

198. विक्रय का प्रमाण-पत्र—(1) धारा 194 के अनुसार किसी विक्रय की पुष्टि के पश्चात् कलेक्टर, विक्रय की गयी सम्पत्ति और ऐसे व्यक्ति का नाम, जिसे विक्रय के समय क्रेता घोषित किया गया था, विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्रपत्र में क्रेता को एक प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

(2) कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और मुहर लगाया गया प्रमाण-पत्र उसमें विनिर्दिष्ट सम्पत्ति का विधिक अन्तरण समझा जाएगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 में उपबन्धित के सिवाय इसको हस्तान्तरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति क्रेता में उस दिनांक से, जब उसका विक्रय किया गया हो, निहित समझी जाएगी और ऐसे दिनांक से नहीं जब विक्रय की पुष्टि की गयी हो।

199. प्रमाण-पत्र प्राप्त क्रेता को कब्जा दिलाना—(1) कलेक्टर ऐसी सम्पत्ति का क्रेता घोषित किय गए व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का जैसा आवश्यक समझा जाए, उपयोग कर सकता है या करा सकता है।

(2) इस धारा में कोई बात कलेक्टर को किसी व्यक्ति की, जिसको व्यतिक्रमी को, प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व, हटाने का वर्तमान अधिकार नहीं था, किसी सम्पत्ति के कब्जे से हटाने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

200. विक्रय मूल्य का विनियोग—जहाँ धारा 194 के अधीन किसी सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गयी हो, वहाँ विक्रय का मूल्य निम्नलिखित क्रम में उपयोग किया जाएगा—

(क) प्रक्रिया की लागत और संग्रह प्रभारों, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए;

(ख) बकाया, जिसकी वसूली के लिए सम्पत्ति का विक्रय किया गया था, का भुगतान करने के लिए;

(ग) अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान व्यतिक्रमी को किया जाएगा

201. अप्राधिकृत अधिभोगी की सरसरी बेदखली—कोई व्यक्ति किसी भूमि का या इस अध्याय के अधीन किसी कुर्क, पट्टे पर दी गयी या विक्रय की गयी अन्य सम्पत्ति का,

** दिनांक 11-2-2016 से प्रभावी।

attached, leased or sold under this Chapter otherwise than in accordance with the provisions of the said Chapter may be summarily ejected by the Collector who may use or cause to be used such force as may be necessary.

202. Bar of suits.—Subject to the provisions of Section 203, no suit or other proceedings shall lie in any Civil Court in respect of any assessment or collection of land revenue or the recovery of any sum recoverable as an arrear of land revenue.

203. Payment before suit.—Whenever proceedings are taken under this Chapter against any person for the recovery of any arrear of land revenue, he may pay the amount claimed to the recovery officer, and upon such payment the proceedings shall be stayed, and the person against whom such proceedings were taken may, notwithstanding anything contained in any other provisions of this Code, sue the State Government in the Civil Court for the recovery of amount so paid.

204. Other payments not to be a valid discharge.—No payment on account of rent or other dues in respect of any land attached under this Chapter, made after such attachment, by the *asami* or any other person in possession thereof to any person other than the revenue officer authorised in this behalf shall operate as a valid discharge.

205. Applicability of the Chapter.—The provisions of this Chapter shall apply to the recovery of all arrears of land revenue and all other sums recoverable as an arrear of land revenue whether due before or after the commencement of this Code.

CHAPTER XIII

JURISDICTION AND PROCEDURE OF REVENUE COURTS

206. Jurisdiction of Civil Court and Revenue Courts.—(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, but subject to the provisions of this Code, no Civil Court shall entertain any suit, application or proceeding to obtain a decision or order on any matter which the State Government, the Board, any revenue court or revenue officer is, by or under this Code, empowered to determine, decide or dispose of.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), and save as otherwise expressly provided by or under this Code—

(a) no Civil Court shall exercise jurisdiction over any of the matters specified in the Second Schedule; and

(b) no Court other than the revenue court or the revenue officer specified in Column 3 of the Third Schedule shall entertain any suit, application or proceeding specified in Column 2 thereof.

(3) Notwithstanding anything contained in this Code, an objection that a court or officer mentioned in sub-section (2) (b) had or had no jurisdiction with respect to any suit, application or proceeding, shall not

उक्त अध्याय के उपबन्धों के अनुसार से अन्यथा कब्जा करता है या रखता है तो कलेक्टर द्वारा उसे सरसरी रूप से बेदखल कर दिया जाएगा एवं कलेक्टर इस हेतु ऐसा बल, जैसा आवश्यक हो, का उपयोग कर सकता है या करा सकता है।

202. वाद का वर्जन—धारा 203 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भू-राजस्व के किसी निर्धारण या संग्रहण या भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

203. वाद के पूर्व भुगतान—जब कभी भू-राजस्व के बकाया की वसूली के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाही शुरू की जाए तो यह दावा की गयी धनराशि का वसूली अधिकारी को भुगतान कर सकता है और ऐसा भुगतान किए जाने पर कार्यवाही रोक दी जाएगी और ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही शुरू की गयी थी, इस संहिता के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के लिए राज्य सरकार पर वाद दाखिल कर सकता है।

204. अन्य भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं है—इस अध्याय के अधीन कुर्क की गयी किसी भूमि के सम्बन्ध में लगान या अन्य देयों के मद्दे असामी या उसका कब्जा रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राजस्व अधिकारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी कुर्की के पश्चात् किया गया कोई भुगतान विधिमान्य परिशोध नहीं होगा।

205. अध्याय का लागू होना—इस अध्याय के उपबन्ध भू-राजस्व के सभी बकाये और इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् देय हुई भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य अन्य धनराशि पर लागू होंगे।

अध्याय-तेरह

राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया

206. सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए परन्तु इस संहिता के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सिविल न्यायालय किसी मामले पर जिसमें राज्य सरकार, परिषद्, कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी, इस संहिता द्वारा या के अधीन अवधारण करने, निर्णय करने या निस्तारित करने के लिए सशक्त है, निर्णय प्राप्त करने के लिए कोई वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय या इस संहिता के अधीन—

(क) कोई न्यायालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा; और

(ख) तृतीय अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इसी अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा।

(3) इस संहिता में किसी बात के होते हुये भी किसी अपीलीय, पुनरीक्षण या निष्पादन न्यायालय द्वारा किसी ऐसी आपत्ति पर, कि उपधारा (2) (ख) में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी वाद, प्रार्थना-पत्र या कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिकारिता

(2) With the prior sanction of the Collector, the writ of demand may also be served on the defaulter by registered post.

(3) It shall be the duty of the process-server to report the mode, manner and date of service of the writ of demand on the defaulter.

143. Single writ of demand may be issued (Section 169).—A single writ of demand may be issued :

(a) against one or more of the defaulters who are jointly responsible for the payment of arrears of land revenue;

(b) regarding the arrears of land revenue, even if it is due in respect of one or more Khata Khataunis.

ARREST AND DETENTION

144. Arrest of the defaulter (Section 171).—(1) The warrant of arrest of a defaulter may be issued by any Revenue Officer not below the rank of an Assistant Collector in R.C. Form-37 and it may be executed by the officer or official authorised by the Revenue Officer issuing the warrant of arrest and the name of the officer or official authorised to execute the arrest of warrant should be mentioned in such warrant.

(2) Soon after the arrest, the defaulter shall be produced before the officer issuing the warrant. If the defaulter pays or undertakes to pay the whole or a substantial portion of the arrears and furnishes adequate security therefor, the warrant of arrest may be cancelled. No order for the detention of the defaulter shall be passed unless the officer issuing the warrant has reasons to believe that such detention shall compel the payment of whole or substantial portion of the arrears. The period of detention (not exceeding 15 days) shall also be specified in the detention order.

145. Detention of the defaulter (Section 171).—The defaulter may be detained in the tahsil lock-up, but if there is no such lock-up, he may be sent in custody to the civil prison of the district with a warrant to the Jailor specifying therein the date of commitment, the period of detention and the amount (including the cost of detention) on payment of which he shall be released.

146. Subsistence allowance (Section 171).—(1) If the defaulter is detained in civil prison, the allowance for his subsistence shall be according to the rate fixed under Section 57 of the Code of Civil Procedure, 1908. The amount of such allowance if certified by the Jailor to have remained unpaid, may also be recovered as arrears of land revenue.

(2) If the defaulter is detained in the tahsil lock-up, he shall be permitted to cook his own food. If he is not willing or is unable to do so, he shall be provided with necessary food, and the cost thereof shall also be recovered as arrears of land revenue.

ATTACHMENT OF MOVABLE PROPERTIES

147. Attachment of movables (Section 172).—(1) The movable properties of the defaulter may be attached under Section 172, except those specified in sub-section (2) thereof or Sections 60 and 61 of the Code of Civil Procedure, 1908.

(2) कलेक्टर की स्वीकृति से मांगपत्र पंजीकृत डाक द्वारा भी व्यतिक्रमी पर तामील किए जा सकेंगे।

(3) यह आदेशिका तामीलकर्ता का दायित्व होगा कि वह व्यतिक्रमी पर मांगपत्र की तामील की रीति, प्रक्रिया और दिनांक की आख्या दे।

143. एकल मांगपत्र का जारी किया जाना (धारा 169)—एकल मांगपत्र निर्गत किया जा सकता है—

(क) किसी भू-राजस्व के बकाये के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी एक या अधिक व्यतिक्रमियों के विरुद्ध;

(ख) भू-राजस्व के बकाए के सम्बन्ध में यद्यपि कि वह एक या अधिक खाता खतौनी के सम्बन्ध में देय हो।

गिरफ्तारी और निरोधन

144. व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी (धारा 171)—(1) किसी व्यतिक्रमी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारन्ट किसी राजस्व अधिकारी, जो सहायक कलेक्टर से निम्न न होगा, द्वारा आर० सी० प्रपत्र-37 में जारी किया जा सकेगा और यह ऐसे संग्रह अमीन अथवा आदेशिका वाहन द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा, जिसका नाम उस गिरफ्तारी वारण्ट में दर्ज हो।

(2) गिरफ्तारी किए जाने के पश्चात् व्यतिक्रमी को गिरफ्तारी का वारण्ट जारी करने वाले अधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। यदि व्यतिक्रमी सम्पूर्ण बकाया जमा कर देता है या यह वचन देता है कि वह सम्पूर्ण अथवा पर्याप्त भाग की अदायगी कर देगा और इस आशय की पर्याप्त प्रतिभूति देता है, तब गिरफ्तारी वारण्ट को निरस्त किया जा सकता है। हिरासत में रखे जाने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक गिरफ्तारी वारण्ट निर्गत करने वाले अधिकारी को यह विश्वास न हो जाऐ कि व्यतिक्रमी के निरोधन से बकाया का पूरा या आंशिक भाग वसूल हो जाएगा। गिरफ्तारी की अवधि (15 दिवस से अनधिक) का उल्लेख निरोध आदेश में किया जाएगा।

145. व्यतिक्रमी का निरोध (धारा 171)—व्यतिक्रमी को तहसील हवालात में निरुद्ध किया जाएगा। यदि कोई हवालात न हो, तो व्यतिक्रमी को अभिरक्षा में जिले के दीवानी कारावास जेलर के नाम ऐसे अधिपत्र के साथ भेजा जा सकता है, जिसमें सुपुर्दगी का दिनांक, निरोधन का दिनांक तथा वह धनराशि निर्दिष्ट की गयी हो (जिसमें व्यतिक्रमी के निरोधन का परिव्यय भी सम्मिलित होगा), जिसके चुका दिए जाने पर निरोधन से छोड़ा जाएगा।

146. निर्वाह भत्ता (धारा 171)—(1) यदि व्यतिक्रमी का निरोधन दीवानी कारावास में हो तो उसके निर्वाह का परिव्यय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 57 के अधीन निर्धारित किए गए दरों के अनुसार लिया जाएगा। यदि जेलर यह प्रमाणित करे कि इस प्रकार का परिव्यय चुकता होने से रह गया है तो उसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल कर लिया जाएगा।

(2) यदि व्यतिक्रमी को तहसील के हवालात में बन्द किया जाए तो उसे अपने लिए भोजन स्वयं बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। यदि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक न हो या ऐसा करने में असमर्थ हो तो उसे आवश्यक भोजन दिया जाएगा जिस पर होने वाले परिव्यय को भी भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

चल सम्पत्ति की कुर्की

147. चल सम्पत्ति की कुर्की (धारा 172)—(1) व्यतिक्रमी की चल सम्पत्तियों को धारा 172 के अन्तर्गत कुर्क किया जा सकेगा, केवल उन दशाओं को छोड़कर, जिन्हें यथा-वर्णित उपधारा (2) अथवा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के धारा 60 व 61 में निर्दिष्ट किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

(2) Every process of attachment under the said section shall be issued by the Sub-Divisional Officer in R.C. Form-38 and unless otherwise directed shall be executed by a Collection Amin authorised for the purpose.

148. Preparation of list (Section 172).—(1) A list of movable properties so attached shall be prepared on the spot which shall be signed by the attaching officer and two witnesses.

(2) The movables so attached may be left in the custody of the defaulter or of a responsible person as provided in Sections 172 (3) and 172 (4).

149. Attachment of live-stock (Section 172).—(1) If the live-stock of the defaulter is attached and is sent to the nearest pound, then the pound-keeper shall enter in his Register :

(a) the number and description of the stock;

(b) the day, date and hour when the stock was committed to his custody;

(c) the name of the attaching officer who committed the stock and shall give the said officer a copy of the entry.

(2) The pound-keeper shall properly feed and water the cattle, and shall be paid therefor by the proper authority according to the rates prescribed under the Cattle Trespass Act, 1871.

(3) The animals committed to the custody of the pound-keeper shall not be released otherwise than a written order of the attaching officer or of the Tahsildar.

(4) If the live-stock is subsequently sold for the recovery of arrears of land revenue, the charges liable under sub-rule (2) shall be paid from the sale proceeds thereof. If the live-stock is not so sold, then the said charges shall also be recoverable as arrears of land revenue.

150. Objection against attachment (Section 172).—If any objection is filed against the attachment of the movables on the ground that the same was exempt from attachment or that they do not belong to the defaulter, such objection shall be decided by the Sub-Divisional Officer or by an Assistant Collector within a month from the date of such objection or before the actual sale thereof.

SALE OF MOVABLES

151. Movables to be sold by public auction (Section 172).—(1) Every sale of movable property shall be held by public auction and the proclamation of such sale shall be issued in R.C. Form-39 specifying therein :

(a) the amount for the recovery whereof the sale was ordered; and

(b) the time, date and place of such sale.

(2) A copy of the sale proclamation shall be pasted on the notice board of the Tahsil concerned, and another copy shall be served on the defaulter at least seven days before the date of the intended sale.

(3) If the revenue officer (other than the Sub-Divisional Officers) is deputed to hold and conduct the sale, the name and designation of such officer shall be endorsed on the sale proclamation.

(2) उक्त धारा के अन्तर्गत कुर्की की प्रत्येक कार्यवाही उपजिलाधिकारी द्वारा आर० सी० प्रपत्र-38 में की जाएगी और, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस उद्देश्य के लिए अधिकृत संग्रह अमीन द्वारा निष्पादित की जाएगी।

148. सूची का तैयार किया जाना (धारा 172)—(1) इस प्रकार कुर्क की गयी चल सम्पत्तियों की एक सूची मौके पर तैयार की जाएगी, जिस पर कुर्की अधिकारी और दो गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) इस प्रकार कुर्क की गयी चल सम्पत्तियों को व्यतिक्रमी के अभिरक्षण में अथवा धारा 172 (3) और 172 (4) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत जिम्मेदार व्यक्तियों को दिया जाएगा।

149. पशुधन की कुर्की (धारा 172)—(1) उस स्थिति में जब व्यतिक्रमी के पशुधन की कुर्की की गयी हो और उसे निकट के कांजी हाऊस में भेज दिया गया हो, तो कांजी हाऊस का रक्षक—

(क) पशुधन की संख्या और उसका वर्णन;

(ख) वह दिनांक तथा समय जब पशुधन उसकी अभिरक्षा में आया हो;

(ग) उस कुर्की अधिकारी का नाम जिसने सम्पत्ति सौंपी हो,

एक रजिस्टर में दर्ज करेगा और ऐसे इन्द्राज की एक प्रतिलिपि कुर्क अधिकारी को दे देगा।

(2) कांजी हाऊस का रक्षक पशुओं को उचित रूप से चारा पानी देगा और इस निमित्त उसे पशु अतिचार अधिनियम, 1871 में निर्धारित दर के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किराया देय होगा।

(3) कांजी हाऊस के रक्षक की अभिरक्षा में सौंपा गया पशु तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कुर्की की आज्ञा देने वाला अधिकारी या तहसीलदार ऐसी लिखित आज्ञा न दे दे।

(4) यदि पशुधन का विक्रय भू-राजस्व की बकाया के क्रम में कर दिया जाता है, तो उपनियम (2) के अन्तर्गत देय परिव्ययों का भुगतान नीलामी की कार्यवाही से प्राप्त धनराशि से किया जाएगा। यदि पशुधन का इस इस प्रकार विक्रय नहीं किया जाता है तो इस प्रकार देय परिव्ययों को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

150. कुर्की के विरुद्ध आपत्ति (धारा 172)—यदि चल सम्पत्ति की कुर्की के विरुद्ध कोई आपत्ति इस आधार पर दाखिल की जाती है कि उक्त सम्पत्ति कुर्की से अलग थी अथवा उक्त सम्पत्ति का व्यतिक्रमी से सम्बन्ध नहीं है, तब उपजिलाधिकारी अथवा सहायक कलेक्टर द्वारा, ऐसी आपत्ति दाखिल करने के दिनांक से एक माह के अन्दर अथवा वास्तविक नीलामी के पूर्व, जैसा भी हो, निस्तारित की जाएगी।

चल सम्पत्तियों का विक्रय

151. चल सम्पत्ति का विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाना (धारा 172)—(1) चल सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा और ऐसे विक्रय की उद्घोषणा आर० सी० प्रपत्र-39 में निर्गत की जाएगी जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे—

(क) वसूली की धनराशि जिसके सापेक्ष सम्पत्ति के विक्रय का आदेश किया गया हो;

(ख) ऐसे विक्रय के सम्बन्ध में समय, दिनांक और स्थान का विवरण।

(2) विक्रय की उद्घोषणा की एक प्रति सम्बन्धित तहसील के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाएगी और उद्घोषणा की दूसरी प्रति व्यतिक्रमी को ऐसे विक्रय के दिनांक से सात दिन पूर्व तामील कराई जाएगी।

(3) यदि राजस्व अधिकारी (उपजिलाधिकारी से भिन्न) को नीलामी आयोजित एवं सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किया जाता है तब विक्रय की उद्घोषणा में ऐसे अधिकारी के नाम और पद का भी उल्लेख किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

(4) No such sale shall take place, if the amount specified in the sale proclamation is paid before the sale is held.

(5) If the sale is adjourned for a period beyond seven days, a fresh sale proclamation shall be necessary.

152. Deposit of sale price [Section 172 and 189 (2)].—(1) The highest bidder at such sale shall be asked to deposit the entire sale price in one lump sum in accordance with Section 189 (2).

(2) If the sale price is not deposited, the movable shall be re-sold forthwith.

(3) After the deposit of the sale price by the highest bidder, the sale shall become absolute, and the purchaser shall be entitled to the custody, and the purchaser shall be entitled to the custody of the goods sold.

ATTACHMENT OF BANK ACCOUNT

153. Attachment of Bank Account and Locker (Section 173).—The arrears of land revenue may be recovered by attaching the bank account and the locker hired by the defaulter by serving a garnishee order on the Branch Mana-

(4) यदि विक्रय की दिनांक के पूर्व विक्रय उद्घोषणा में विहित धनराशि जमा कर दी जाती है तो ऐसी नीलामी रोक दी जाएगी।

(5) यदि सात दिन से अधिक की अवधि के लिए विक्रय की कार्यवाही स्थगित की जाती है तो विक्रय के लिए नयी उद्घोषणा जारी करना आवश्यक होगा।

152. विक्रय की धनराशि का जमा किया जाना [(धारा 172) और धारा 189 (2)]—(1) ऐसे विक्रय के सम्बन्ध में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को धारा 189 (2) के अनुपालन में एकमुश्त सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के लिए कहा जाएगा।

(2) यदि विक्रय की धनराशि जमा नहीं की जाती है तो चल सम्पत्तियों का पुनः अविलम्ब विक्रय किया जाएगा।

(3) सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के द्वारा विक्रय की धनराशि जमा करने के पश्चात् ऐसे विक्रय की कार्यवाही अन्तिम मानी जाएगी और क्रेता को विक्रीत समस्त वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

become absolute, and the ... and the purchaser shall be entitled to the custody of the goods sold.

ATTACHMENT OF BANK ACCOUNT

153. Attachment of Bank Account and Locker (Section 173).—The arrears of land revenue may be recovered by attaching the bank account and the locker hired by the defaulter by serving a garnishee order on the Branch Manager of the Bank concerned in R.C. Form-40.

154. Opening of the Locker (Section 173).—As soon as possible after the service of the Garnishee Order under Rule 153, the Sub-Divisional Officer shall, with the convenience of the Branch Manager, fix a date when the locker hired by the defaulter shall if considered necessary, be opened and inventory of the contents, shall be prepared in the presence of the Sub-Divisional Officer, the Branch Manager and the defaulter who shall be duly informed about such date.

155. Deposit of money by Branch Manager (Section 173).—If the amount standing to the credit of the defaulters' account (after excluding the amount necessary to maintain the account) is sufficient to clear the arrears or a substantial part thereof, the Branch Manager shall, at the written direction of the Sub-Divisional Officer, deposit the same in the treasury and debit the amount from the defaulters' account.

156. Sale of goods of defaulters' locker (Section 173).—If the deposit made by the Branch Manager under Rule 155 is not sufficient to clear the arrears, and the Bank locker hired by the defaulter contains goods capable of being sold, such goods may be sold either by inviting tenders or by public auction as he considers fit. In every such sale, the procedure prescribed for the sale of movable property shall *mutatis mutandis* apply.

157. Discharge of Bank's Liability (Section 173).—Every payment made by the Branch Manager under Rule 155 and the delivery of goods sold to the purchaser under Rule 156 shall operate as a valid discharge of the Bank's liability to the defaulter.

ATTACHMENT OF LAND FOR WHICH ARREAR IS DUE

158. Attachment of holding (Section 174).—(1) Every process of attachment of land under Section 174 shall be issued by the Collector or the Sub-Divisional Officer authorised by him in R.C. Form-41 and shall be affected in the manner provided in Order 21 Rule 54 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure 1908.

... का पुनः अविलम्ब विक्रय किया जाएगा।

(3) सबसे ऊँची बोली लगाने वाले के द्वारा विक्रय की धनराशि जमा करने के पश्चात् ऐसे विक्रय की कार्यवाही अन्तिम मानी जाएगी और क्रेता को विक्रीत समस्त वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा।

बैंक खाते की कुर्की

153. लॉकर व बैंक खाते की कुर्की (धारा 173)—भू-राजस्व के बकाया की वसूली व्यतिक्रमी के लॉकर व बैंक खाते की कुर्की करके की जा सकेगी। इसके लिए सम्बन्धित बैंक के प्रबन्धक को आर० सी० प्रपत्र-40 में स्पष्ट आदेश तामील कराया जाएगा।

154. लॉकर का खोला जाना (धारा 173)—सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक को नियम 153 के अन्तर्गत ऐसे स्पष्ट आदेश के तामील के उपरान्त यथाशीघ्र उपजिलाधिकारी सम्बन्धित बैंक की सुविधा के अनुसार व्यतिक्रमी के लॉकर को खोलने की दिनांक तय करेगा और लॉकर खोलेगा तथा उपजिलाधिकारी शाखा प्रबन्धक एवं व्यतिक्रमी की उपस्थिति में लॉकर के अन्दर की रखी वस्तुओं की विवरणिका तैयार की जाएगी। व्यतिक्रमी को ऐसी दिनांक के बारे में उचित रीति से सूचित किया जाएगा।

155. शाखा प्रबन्धक द्वारा धनराशि का जमा कराया जाना (धारा 173)—यदि व्यतिक्रमी के खाते में बकाया की सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी अंश के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि जमा है तो शाखा प्रबन्धक (खाते को चालू रखने के लिए आवश्यक धनराशि को घटाकर) उपजिलाधिकारी के लिखित निर्देश पर व्यतिक्रमी के खाते से धनराशि निकालकर कोषागार में जमा कराएगा।

156. व्यतिक्रमी के लॉकर की वस्तुओं का विक्रय (धारा 173)—शाखा प्रबन्धक द्वारा नियम 155 के अन्तर्गत जमा कराई गई धनराशि यदि बकाए के सम्पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है तो यदि व्यतिक्रमी के लॉकर में विक्रय योग्य सामान उपलब्ध है तो उपजिलाधिकारी टेण्डर प्रक्रिया द्वारा अथवा लोक नीलामी के द्वारा, जैसा वह उचित समझे, ऐसे सामान के विक्रय की व्यवस्था करेगा। ऐसे प्रत्येक विक्रय के सम्बन्ध में चल सम्पत्ति के विक्रय के लिए विहित प्रक्रिया यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

157. बैंक के दायित्वों का उन्मोचन (धारा 173)—नियम 155 के अन्तर्गत शाखा प्रबन्धक द्वारा किए गए प्रत्येक भुगतान और नियम 156 के अन्तर्गत क्रेता को विक्रय की गई वस्तुओं की आपूर्ति की कार्यवाही व्यतिक्रमी के सन्दर्भ में बैंक के दायित्वों के वैध उन्मोचन के रूप में लागू होगी।

भूमि की कुर्की जिसके सापेक्ष बकाया देय है।

158. जोत की कुर्की (धारा 174)—(1) धारा 174 के अन्तर्गत भूमि की कुर्की की कार्यवाही उपजिलाधिकारी द्वारा आर० सी० प्रपत्र-41 में निर्गत की जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 नियम 54 के अनुसार प्रभावी होगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(2) A copy of R.C. Form-41 shall also be served on the defaulter and the factum of attachment shall al so be announced by beat of drum on the spot.

(3) If the defaulter pays the amount of arrear including the cost of the process of attachment, the property attached shall stand released.

159. Disposal of objection (Sections 174 and 183).—If any objection is filed against attachment made under Rule 158, the same shall be disposed of promptly by the attaching officer.

LEASE OR SALE OF LAND FOR WHICH ARREAR IS DUE

160. Lease of holding (Sections 178 and 179).—(1) As soon as may be, after a land is attached under Section 174 (1), the Collector or the Assistant Collector authorised by the Collector may proceed to let it out to any person, other than the defaulter whom he thinks fit, provided such person pays the whole of the arrears including the cost of the process of attachment before the execution of the deed of the lease.

(2) The period of lease (which shall not exceed ten years) shall be decided by the Collector or the Assistant Collector authorised by the Collector, keeping in view the amount of arrears and the area of the land.

(3) Every such lease shall be executed in R.C. Form-42 in the manner specified in Section 175 and during the currency of such lease; the lessee shall be bound to pay the land revenue in respect of such land.

(4) If the lessee makes default in payment of land revenue or otherwise contravenes the terms and conditions of the lease, the Collector or the Assistant Collector authorised by the Collector may after affording opportunity of hearing to the lessee, cancel the lease.

(5) After the expiry or the cancellation of the lease, as the case may be, the land shall be restored to the defaulter or to his legal representatives in accordance with Section 175 (4).

161. Sale of holding (Sections 176 and 179).—(1) If no suitable person is willing to take the land on lease under Section 175 and the amount of arrear remains unpaid, the Collector or the Assistant Collector authorised by the Collector may proceed to sell the whole or part of the land in respect of which the land revenue is in arrears, by public auction and the provisions of Section 184 to Section 205 shall *mutatis mutandis* apply.

(2) While conducting the sale under sub-rule (1), the sale officer shall announce that only those persons should participate in the auction, acquisition of land by whom does not contravene the provisions of Section 89.

(3) Every proclamation of sale under this Rule shall be issued in R.C. Form-43 and shall contain particulars specified in Section 184.

ATTACHMENT AND SALE OF OTHER IMMOVABLE PROPERTY OF THE DEFAULTER

162. Attachment of other immovable property (Sections 177 and 179).—(1) Every process for the attachment of other immovable property of the defaulter under Section 177 shall be issued in R.C. Form-41 and shall be affected in the manner prescribed in Order 21 Rule 54 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure in Order 21 Rule 54 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908.

(2) आर० सी० प्रपत्र-41 की एक प्रति व्यतिक्रमी को भी तामील कराई जाएगी और कुर्की के आगम की घोषणा मौके पर डुग्गी पिटवाकर की जाएगी।

(3) यदि व्यतिक्रमी बकाया की धनराशि कुर्की की प्रक्रियात्मक लागत सहित अदा कर देता है, सम्पत्ति कुर्की से अवमुक्त हो जाएगी।

159. आपत्तियों का निस्तारण (धारा 174 और 183)—यदि नियम 158 के अन्तर्गत की गई कुर्की के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल की जाती है, तो उसका निस्तारण तत्काल कुर्की अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

भूमि का पट्टा अथवा विक्रय जिसके लिए बकाया देय है।

160. भूमि का पट्टा (धारा 178 और 179)—(1) धारा 174 (1) के अन्तर्गत भूमि की कुर्की के पश्चात् कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर भूमि को यथासंभव ऐसे किसी उपयुक्त व्यक्ति को जो व्यतिक्रमी से भिन्न हो, पट्टे पर उठा देगा, जो पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व कुर्की की कार्यवाही की प्रक्रियात्मक लागत एवं सम्पूर्ण बकाया चुकता कर सके।

(2) पट्टे की अवधि (जो 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी) कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा बकाए की धनराशि एवं भूमि के क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित की जाएगी।

(3) ऐसा प्रत्येक पट्टा आर० सी० प्रपत्र-42 में धारा 175 में विहित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाधारक उस भूमि पर देय भू-राजस्व को देने हेतु बाध्य होगा।

(4) यदि पट्टेदार भू-राजस्व की अदाएगी में चूक करता है अथवा किसी अन्य प्रकार से पट्टे की शर्तों और दशाओं का उल्लंघन करता है, तब कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर पट्टेदार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पट्टा निरस्त कर सकेगा।

(5) पट्टे की अवधि पूर्ण होने अथवा पट्टा निरस्त होने, जैसी भी स्थिति हो, भूमि व्यतिक्रमी अथवा धारा 175 (4) के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधियों के पक्ष में पुनःस्थापित हो जाएगी।

161. जोत का विक्रय (धारा 176 और 179)—(1) यदि धारा 175 के अनुसार कोई उपयुक्त व्यक्ति भूमि को पट्टे पर लेने के लिए इच्छुक नहीं हो और भूमि पर बकाए की धनराशि अवशेष हो, तब कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत सहायक कलेक्टर सम्पूर्ण भूमि अथवा उसके किसी भाग की, जिसके सम्बन्ध में बकाया शेष है, लोक नीलाम द्वारा विक्रय की कार्यवाही कर सकेगा और इस सम्बन्ध में धारा 184 से 205 के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत विक्रय की कार्यवाही करते समय विक्रय अधिकारी यह घोषणा करेगा कि नीलामी की कार्यवाही में भूमि के अर्जन के समय केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, जिनसे धारा 89 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता हो।

(3) इस नियम के अन्तर्गत विक्रय की प्रत्येक उद्घोषणा आर०सी० प्रपत्र-43 में जारी की जाएगी और इसमें धारा 184 में विनिर्दिष्ट विवरण सम्मिलित होंगे।

व्यतिक्रमी की अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं विक्रय

162. अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की (धारा 177 एवं 179)—(1) धारा 177 के अन्तर्गत व्यतिक्रमी की अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही आर० सी० प्रपत्र-41 में निर्गत की जाएगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 21 नियम 54 के अनुसार प्रभावी होगी।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(2) A copy of the R.C. Form-41 shall also be served on the defaulter.

(3) If the defaulter pays the amount of arrears including the cost of process of attachment, the property shall stand released.

163. Sale proclamation [Section 184].—[1][(1) Every proclamation of sale of the property referred to in Rule 161 shall be issued in RC Form-43 and a copy thereof shall be served on the defaulter as required by Section 184 (4).

(2) The recovery of the amount contained in the recovery certificate received from the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority, if the defaulter concerned does not deposit the amount, can also be done through e-auction of the immovable property of the defaulter.]

164. Sale Officer (Section 186).—Every sale of immovable property shall be made by the Collector or by an Assistant Collector authorized by him, who may, from time to time postpone the sale. If sale is adjourned for more than 21 days, a fresh proclamation of sale shall be necessary.

165. Information to Commanding Officer (Section 186).—Where an immovable property sold under Section 186 is situate within a contonment area, the Collector shall, as soon as the sale has been confirmed, inform the Commanding Officer of such cantonment about the factum of sale and the name and address of the purchaser.

166. Bid by Collector (Section 186).—When no bid is offered at an auction sale upto the amount of reserve price, the Collector may bid upto the amount of such arrears.

167. Recovery of deficiency (Section 189).—If at an auction sale, the person to be the purchaser fails to deposit 25% of the amount of his bid as required by Section 189 (1), and the fresh sale results in deficiency in price, such deficiency on re-sale (together with the expenses of first sale) may be recovered from such person as arrears of land revenue.

168. Deposit of purchase price (Sections 189 and 190).—Where any property (whether movable or immovable) is sold by public auction for the recovery of arrears of land revenue under Chapter XII of the Code, every deposit of the purchase money under Section 189 or Section 190 shall be made either in cash or by demand draft or partly in cash and partly by such draft.

169. Application for preference (Section 191).—(1) Where any immovable property belonging to a scheduled caste is sold by public auction for recovery of the arrears of land revenue under Chapter XII of the Code, any person belonging to such caste, may apply to the Collector (along with necessary deposit) within a period of 30 days from the date of such auction for the preference referred to in Section 191.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall *mutatis mutandis* apply to the sale of immovable property belonging to a scheduled tribe.

(3) Where more than one person have applied for the grant of such preference (along with necessary deposit) within the prescribed period, then the Collector or an Assistant Collector authorized by him may call for bid between the applicants either by inviting tenders or by open auction and determine as to who is the highest bidder.

(4) The question of granting preference shall not arise if the auction sale is set aside under Section 192, Section 193 or Section 195.

1. Substituted by U.P. Revenue Code (Fourth Amendment) Rules, 2021 (w.e.f. 16.12.2021). Prior to substitution it was as followed :
"163. *Sale proclamation (Section 184).*—Every proclamation of sale of the property referred to in Rule 161 shall be issued in R.C. Form-43 and a copy thereof shall be served on the defaulter as required by Section 184 (4)."

(2) व्यतिक्रमी को भी आर० सी० प्रपत्र-41 की एक प्रति तामील करायी जायेगी।

(3) यदि व्यतिक्रमी बकाया की धनराशि कुर्की की प्रक्रियात्मक लागत सहित अदा कर देता है तो सम्पत्ति कुर्की से अवमुक्त हो जाएगी।

163. विक्रय की उद्घोषणा [धारा 184].—[1][(1) नियम 161 में निर्दिष्ट सम्पत्ति के विक्रय की प्रत्येक उद्घोषणा, आर० सी० प्रपत्र-43 में जारी की जायेगी और इसकी एक प्रति, धारा 184 (4) के अनुसार व्यतिक्रमी को तामील की जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से प्राप्त वसूली प्रमाण-पत्र में अन्तर्विष्ट धनराशि की वसूली, यदि सम्बन्धित व्यतिक्रमी धनराशि जमा नहीं करता है, व्यतिक्रमी की अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी के माध्यम से भी की जा सकती है।]

164. विक्रय अधिकारी (धारा 186).—प्रत्येक अचल सम्पत्ति का विक्रय कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा किया जाएगा, जो समय-समय पर विक्रय को स्थगित कर सकता है। यदि विक्रय को 21 दिन से अधिक के लिए स्थगित किया जाता है तो नए विक्रय के नये उद्घोषणा-पत्र की आवश्यकता होगी।

165. नियन्त्रक अधिकारी को सूचना (धारा 186).—जहां कोई अचल सम्पत्ति धारा 186 के अनुक्रम में विक्रीत होती है और उसकी अवस्थिति छावनी क्षेत्र के मध्य है तो जैसे ही विक्रय की पुष्टि होगी, कलेक्टर छावनी के नियंत्रक अधिकारी को उस विक्रय के सन्दर्भ में तथा क्रेता का नाम व पता की सूचना देगा।

166. कलेक्टर द्वारा बोली (धारा 186).—जहां नीलामी के विक्रय में आरक्षित कीमत की धनराशि तक बोली नहीं आती है, वहां कलेक्टर ऐसी बकाया की धनराशि तक बोली लगा सकेगा।

167. कमी की वसूली (धारा 189).—जहां नीलामी विक्रय में, जिस व्यक्ति को विक्रेता घोषित किया गया है, यदि धारा 189 (1) के अन्तर्गत बोली का 25 प्रतिशत का भुगतान करने में विफल रहता है, और पुनः विक्रय में मूल्य में कमी आ जाती है, तो पुनः विक्रय में आयी कमी (साथ में प्रथम विक्रय पर आए खर्च को जोड़ते हुए) को उस व्यक्ति से भू-राजस्व की भांति वसूला जाएगा।

168. क्रय राशि का जमा किया जाना (धारा 189 और 190).—जहां कोई सम्पत्ति (चल अथवा अचल) लोक नीलामी के माध्यम से संहिता के अध्याय-बारह के अन्तर्गत भू-राजस्व के वसूली के लिए विक्रय की जाती है, वहां धारा 189 या धारा 190 के अन्तर्गत प्रत्येक क्रय राशि को नकद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा भागतः नकद और भागतः ड्राफ्ट के द्वारा किया जाएगा।

169. प्राथमिकता हेतु आवेदन (धारा 191).—(1) यदि संहिता के अध्याय-बारह के अन्तर्गत भू-राजस्व के वसूली हेतु किसी अनुसूचित जाति की अचल सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो कोई व्यक्ति जो उस जाति से सम्बन्धित है, धारा 191 के अन्तर्गत कलेक्टर के समक्ष (आवश्यक जमा राशि के साथ) प्राथमिकता हेतु आवेदन नीलामी की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर सकता है।

(2) अनुसूचित जनजाति के अचल सम्पत्ति के विक्रय के सन्दर्भ में भी उपनियम (1) के सन्दर्भ में कार्यवाही की जाएगी।

(3) यदि एक या एक से अधिक व्यक्तियों ने (आवश्यक जमा राशि के साथ) प्राथमिकता का आवेदन-पत्र विहित अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया है तो कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर उन आवेदनकर्ताओं के मध्य निविदा आमन्त्रित करेगा अथवा उनके मध्य खुली नीलामी कराएगा और तय करेगा कि उनमें से कौन उच्च बोली दाता है।

(4) धारा 192, धारा 193 अथवा धारा 195 के अन्तर्गत यदि नीलामी विक्रय विखण्डित किया जाता है, तो प्राथमिकता प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 द्वारा (16.12.2021 से) प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन के पूर्व यह निम्न प्रकार से था :
"163. *विक्रय की उद्घोषणा (धारा 184)*—नियम 161 के अन्तर्गत विहित प्रत्येक सम्पत्ति के विक्रय की उद्घोषणा आर० सी० प्रपत्र-43 में निर्गत की जायेगी और इसकी एक प्रति धारा 184 (4) के अनुसार व्यतिक्रमी को भी तामील की जायेगी।"

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

170. Application for setting aside sale (Section 192).—(1) Where any holding or other immovable property belonging to or held by any person has been sold under Chapter XII of the Code, then such person may apply to the Collector within a period of 30 days from the date of sale for setting aside such sale under Section 192 along with a prayer for making necessary deposits.

(2) The applicant may deposit the amounts specified in clauses (a) to (c) of Section 192 (1) within a period of seven days from the date of application under sub-rule (1).

(3) If the amount is deposited in accordance with sub-rule (2), the Collector shall set aside the sale, and shall also direct for the refund of the purchase money in terms of Section 197.

171. Application of setting aside sale (Section 193).—(1) An application to set aside an auction sale on the ground of material irregularity or mistake in publishing or conducting it can be made by any person referred to in Section 193 (1) before the Commissioner within a period of 30 days from the date of such auction.

(2) In every such application, the grounds on which the auction sale is sought to be set aside should be clearly specified and all interested persons should be impleaded as parties.

(3) If an auction sale is set aside under this Rule, the auction purchaser shall be entitled to receive back the amount specified in Section 197.

172. Confirmation by Collector (Section 194).—At any time after 30 days from the date of an auction sale relating to an immovable property, the Collector may confirm such sale under Section 194, if the following conditions are fulfilled :

(a) That no application for setting aside a sa'e under Section 192 or Section 193 was made within a period of 30 days from the date of such sale;

(b) That such an application was made but has been rejected by the Collector or the Commissioner, as the case may be;

(c) That the property belonging to scheduled caste or scheduled tribe was sold by public auction and no application under Section 191 was made, within a period of 30 days, from the date of such sale;

(d) That the amount of purchase money does not exceed 50 lakh rupees;

(e) That the amount of purchase money is equal to or is more than the reserve price or the amount of arrears specified in the sale proclamation;

(f) That the provisions of Section 195 do not apply to the auction sale in question.

173. Confirmation of sale by Commissioner (Section 194).—At any time after 30 days from the date of an auction sale referred to in Rule 171, the Commissioner may confirm such sale under Section 194, if the following conditions are fulfilled :

170. विक्रय को अपास्त किए जाने हेतु आवेदन (धारा 192)—(1) जहां कि कोई जोत अथवा कोई अचल सम्पत्ति जो किसी व्यक्ति की है अथवा उसके द्वारा धारित है को संहिता के अध्याय-बारह के अन्तर्गत विक्रय किया गया है, वहां वह व्यक्ति विक्रय किए जाने के तीस दिन के अन्दर धारा 192 के अन्तर्गत आवश्यक जमा के साथ उस विक्रय के विखण्डन हेतु आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) धारा 192 (1) के खण्ड (क) से (ग) में विहित धनराशि को आवेदक उपनियम (1) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से सात दिन की अवधि के अन्दर जमा कर सकता है।

(3) यदि उपनियम (2) के अन्तर्गत धनराशि जमा कर दी जाती है तो कलेक्टर विक्रय को विखण्डित कर देगा तथा धारा 197 के क्रम में क्रय धनराशि को वापस किए जाने का निर्देश देगा।

171. विक्रय अपास्त करने के लिए आवेदन (धारा 193)—(1) धारा 193 (1) के अन्तर्गत उल्लिखित कोई भी व्यक्ति नीलामी विक्रय को किसी महत्वपूर्ण अनियमितता या प्रकाशन की नीलामी की प्रक्रिया में व्यतिक्रम के आधार पर उसे विखण्डित किए जाने का आवेदन नीलामी किए जाने के तीस दिनों के अन्दर मण्डलायुक्त को कर सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन में स्पष्ट रूप से नीलामी विक्रय को विखण्डित किए जाने का आधार बताया जाएगा और सभी हितबद्ध व्यक्ति पक्षकार बनाये जाएंगे।

(3) यदि इस नियम के अन्तर्गत नीलामी विखण्डित की जाती है तो क्रेता धारा 197 में विनिर्दिष्ट धनराशि को वापस पाने का हकदार होगा।

172. कलेक्टर द्वारा पुष्टि (धारा 194)—किसी अचल सम्पत्ति के नीलामी विक्रय के तीस दिनों के पश्चात् कलेक्टर धारा 194 के अन्तर्गत विक्रय को पुष्टि कर सकता है यदि निम्न शर्तें पूरी होती हैं :

(क) यह कि विक्रय को विखण्डित किए जाने का कोई आवेदन धारा 192 अथवा धारा 193 के अन्तर्गत विक्रय के तीस दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं हुआ हो;

(ख) यह कि यदि ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो वह कलेक्टर अथवा आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा खारिज कर दिया गया हो;

(ग) यदि वह विक्रीत सम्पत्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की है और धारा 191 के अन्तर्गत कोई आवेदन विक्रय के तीस दिनों के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(घ) यदि क्रय राशि 50 लाख से ऊपर नहीं है;

(ङ) यदि क्रय राशि बकाया राशि जैसा कि उद्घोषणा पत्र में उल्लिखित है, के बराबर या उससे अधिक है;

(च) यह कि धारा 195 के उपबन्ध इस नीलामी विक्रय पर लागू नहीं होते हैं।

173. आयुक्त द्वारा विक्रय की पुष्टि (धारा 194)—नियम 171 के अन्तर्गत उल्लिखित विक्रय को तीस दिनों के उपरान्त धारा 194 के अन्तर्गत आयुक्त विक्रय की पुष्टि करेंगे, यदि निम्न शर्तें पूरी होती हों :

Scanned with OKEN Scanner

(a) That no application for setting aside a sale under Section 192 or Section 193 was made within a period of 30 days from the date of such sale;

(b) That such an application was made but has been rejected by the Collector or the Commissioner, as the case may be;

(c) That the property sold by public auction belonged to a scheduled caste or scheduled tribe, and no application under Section 191 was made, within a period of 30 days, from the date of such sale;

(d) That the amount of purchase money exceeds 50 lakh rupees;

(e) That the amount of purchase money is less than the reserve price or the amount of arrears specified in the sale proclamation;

(f) That the provisions of Section 195 do not apply to the auction sale in question.

174. Purchaser not to contravene (Section 89).—Before confirming an auction sale under Rule 172 or Rule 173 , the Collector or the Commissioner, as the case may be, shall satisfy himself that the purchaser of land does not contravene the provisions of Section 89.

175. Date of ownership [Section 198 (3)].—When the sale of an immovable property has been confirmed in accordance with Section 194, the right, title and interest of the land of the immovable property aforesaid vested in the defaulter shall be deemed to have vested in the certified purchaser from the date of the auction sale.

SALE CERTIFICATE

176. Certificate of sale (Section 198).—(1) When the sale of an immovable property has been confirmed, under Section 194, a certificate of sale shall be issued by the Collector in R.C. Form-44 to the person who was declared purchaser at the auction sale.

(2) When an immovable property is sold in lots in accordance with Section 184 (2), the sale certificate shall be issued to the auction purchaser of each lot.

(3) Every such sale certificate shall be drawn up on a stamped paper of the value specified in Article 18 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899.

(4) A sale certificate issued under this Rule need not be registered under the Registration Act. 1908, but the revenue officer issuing it shall send a copy thereof to the registering authority for the purposes of being filed in Book No. 1 as required by Section 89 of the said Act.

(5) The copy of sale certificate to be sent to the registering authority under sub-rule (4) is exempt from stamp duty.

177. Delivery of possession (Sections 199 and 201).—If the person declared to be the purchaser of an immovable property applies for delivery of possession over the property so purchased, the Collector shall put the purchaser in possession of such property and for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(क) यह कि विक्रय को विखण्डित किए जाने का कोई आवेदन धारा 192 अथवा धारा 193 के अन्तर्गत विक्रय के तीस दिनों के अन्दर प्राप्त नहीं हुआ हो;

(ख) यह कि यदि ऐसा कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो वह कलेक्टर अथवा आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा खारिज कर दिया गया हो;

(ग) यदि वह विक्रीत सम्पत्ति अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की है और धारा 191 के अन्तर्गत कोई आवेदन विक्रय के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(घ) यदि क्रय राशि रुपए 50 लाख से ऊपर है;

(ङ) यदि क्रय राशि विक्रय उद्घोषणा में उल्लिखित बकाए की धनराशि अथवा आरक्षित कीमत से कम हो।

(च) यह कि धारा 195 के उपबन्ध प्रश्नगत नीलामी विक्रय पर लागू नहीं होते हैं।

174. क्रेता द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाना (धारा 89)—नियम 172 या नियम 173 के अन्तर्गत विक्रय की पुष्टि करने से पूर्व कलेक्टर अथवा मण्डलायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, अपना यह समाधान करेंगे कि भूमि के क्रेता ने धारा 89 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया हो।

175. स्वामित्व का दिनांक [धारा 198 (3)]—जब धारा 194 के अनुसार अचल सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गई हो तो व्यतिक्रमी में निहित उपरोक्त अचल सम्पत्ति का भूमि में अधिकार, स्वत्व व हित नीलामी विक्रय के दिनांक से प्रमाणित क्रेता में निहित समझा जाएगा।

विक्रय प्रमाण-पत्र

176. विक्रय का प्रमाण-पत्र (धारा 198)—(1) जब धारा 194 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति के विक्रय की पुष्टि की गयी है, तो कलेक्टर द्वारा आर० सी० प्रपत्र-44 के अन्तर्गत विक्रय का प्रमाण-पत्र उस व्यक्ति को जारी करेगा जो नीलामी विक्रय का क्रेता घोषित किया गया है।

(2) जब अचल सम्पत्ति का धारा 184 (2) के अन्तर्गत समूह में विक्रय किया गया है, वहां प्रत्येक निलामी क्रेता के लिए विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(3) प्रत्येक विक्रय प्रमाण-पत्र उतने मूल्य के स्टाम्प-पत्र पर विलेखित किया जाएगा जितना कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 18 के अनुसूची 1-ख में बताया गया है।

(4) इस नियम के अन्तर्गत जारी किए गए विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है परन्तु, राजस्व अधिकारी जिसने विक्रय प्रमाण-पत्र को जारी किया है, उसकी एक प्रति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम के धारा 89 के अन्तर्गत बही संख्या-1 में दर्ज किए जाने हेतु प्रेषित करेगा।

(5) विक्रय प्रमाण-पत्र की प्रति जो पंजीकरण हेतु पंजीकरण प्राधिकारी के पास उपनियम (4) के अन्तर्गत प्रेषित की गई है वह स्टाम्प शुल्क से मुक्त होगी।

177. कब्जे का परिदान (धारा 199 एवं 201)—यदि वह व्यक्ति जिसको अचल सम्पत्ति का क्रेता घोषित किया गया है, उस सम्पत्ति पर कब्जे के लिए आवेदन करता है तो, कलेक्टर उसे उस सम्पत्ति में कब्जा प्राप्त कराएगा और इस हेतु आवश्यकतानुसार आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner